रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 2, 2010/आषाढ़ 11, 1932

No. 370] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 2, 2010/ASADHA 11, 1932

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2010

सा.का.नि. 576(अ).—राष्ट्रपति, मूल नियमों के नियम 45 के अनुसरण में और भारतीय सर्वेक्षण के सरकारी निवासों का आबंटन नियम, 1999 का, उन बातों के सिवाए अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या किए जाने का लोप किया गया है निम्नलिखित नियम बनाती है:—

अनुपूरक नियमों के भाग VIII में खण्ड 26-कछ के पश्चात् निम्नलिखित को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"खण्ड 26-कज"

अ.नि. 317-कज-1.—संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ:—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सर्वेक्षण संपदा के सरकारी निवासों का आबंटन नियम, 2010 है।
2. ये नियम उन निवासों के आबंटन को लागू होंगे, जो भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण के केन्द्रीय विद्यालय (परियोजना विद्यालय), केन्द्रीय और प्रादेशिक वेतन और लेखा कार्यालयों में, जो भारतीय सर्वेक्षण के साथ लेखा अधिकारिता रखते हैं, नियमित सरकारी कर्मचारियों के उपयोग के लिये प्राथमिक रूप से आशयित हैं।
3. ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

अ.नि. 317-कज-2, परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "आबंटन" से अभिप्रेत है इन नियमों के उपबंधों के अनुसार अधिकारी के निवास का अधिभोग करने हेतु अनुज्ञप्ति का अनुदान;

(ख) "आबंटन वर्ष" से अभिप्रेत है वह वर्ष जो पहली जनवरी को प्रारंभ होता है या ऐसी अन्य अवधि जो संबंधित निदेशक द्वारा अधिसूचित की जाए;

(ग) "संबंधित निदेशक" से अभिप्रेत है भारतीय सर्वेक्षण संपदा का प्रशासन करने के लिए उत्तरदायी भारतीय सर्वेक्षण का निदेशक या उपमहासर्वेक्षक या उपनिदेशक या भारतीय सर्वेक्षक दल का प्रभारी अधिकारी जो भारत के महासर्वेक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए;

(घ) "पात्र–कार्यालय" से अभिप्रेत है भारतीय सर्वेक्षण कार्यालय, केन्द्रीय या प्रादेशिक वेतन और लेखा कार्यालय, जो भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण के केन्द्रीय विद्यालय (परियोजना विद्यालय) के साथ लेखा अधिकारिता रखते हैं, जिनके कर्मचारिवृंद इन नियमों के अधीन निवास के लिए पात्र घोषित किए गये हैं;

(ड.) "ग्रेड पे" से छठे वेतन आयोग द्वारा यथा परिभाषित और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन अभिप्रेत है

स्पष्टीकरण– ऐसे अधिकारी की दशा में जो निलंबित है उस आबंटन वर्ष के, जिसमें उसको निलंबित किया गया है, के प्रथम दिन को उसके द्वारा ली गई ग्रेड पे का या यदि वह आबंटन वर्ष के प्रथम दिन को निलंबित किया गया है तो उस तारीख के ठीक पूर्व उसके द्वारा ली गई ग्रेड पे को ग्रेड पे समझा जाएगा;

(च) "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, पति या पत्नी और बच्चे, सौतेले बच्चे, विधिक रूप से दत्तक लिए गए बच्चे माता–पिता, भाई या बहिन, जो सामान्यतः अधिकारी के साथ रहते हैं और उस पर आश्रित हैं;

(छ) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है :

(ज) "अनुज्ञप्ति फीस" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन आबंटित निवास की बाबत मूल नियमों के उपबन्धों के अनुसार और भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार मासिक संदेय धन की राशि;

(झ) "अधिकारी" से भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण के केन्द्रीय विद्यालय (परियोजना विद्यालय), केन्द्रीय, प्रादेशिक वेतन और लेखा कार्यालयों में, जो भारतीय सर्वेक्षण के साथ लेखा अधिकारिता रखते हैं, सेवारत अधिकारी और कर्मचारी अभिप्रेत है;

(ञ) किसी टाइप के निवास की बाबत जिसका कि वह का.नि. कज–4 के उपबन्धों के अधीन पात्र है, अधिकारी की "पूर्विकता तारीख" से अभिप्रेत है, वह पूर्वतम तारीख जिससे कि वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या विदेशी सेवा के अधीन पद पर, सिवाय छुट्टियों की अवधि के, ऐसी ग्रेड पे लेता रहा है, जो किसी विशिष्ट टाइप या उच्चतर टाइप से सुसंगत है।

परन्तु टाइप I, टाइप II, टाइप III, टाइप IV निवास की बाबत वह तारीख जिससे कि अधिकारी केन्द्रीय सरकार या राज्य संरकार जिसमें विदेश सेवा की अवधि भी सम्मिलित है, निरन्तर रहा है, उस टाइप के लिए उसकी पूर्विकता तारीख होगी।

परन्तु यह और कि भूतपूर्व सैनिक के भारतीय सर्वेक्षण में पुनर्नियोजन की दशा में सशस्त्र बलों में की गयी भूतपूर्व सेवाओं का पूर्विकता तारीख का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए गणना की जाएगी, भले ही उस अधिकारी ने रक्षा सेवा सीमांत प्रसुविधाएं ले ली है और सेवा में भंग यदि कोई हो, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ नहीं कर दिया पूर्विकता की तारीख के अवधारण करने के लिए भूतपूर्व सेवाओं के योग में से घटा दिया जाएगा:

परन्तु यह भी कि समूह "घ" कर्मचारिवृन्द की बाबत सम्भाव्य खलासी के रूप में की गई निरन्तर सेवा का पचास प्रतिशत पूर्विकता का अवधारण करने के लिए गणना में लिया जाएगा:

परन्तु यह भी कि जहां दो या अधिक अधिकारियों की पूर्विकता तारीख एक हो वहां उनमें से ज्येष्ठता, ग्रेड पे की रकम के आधार पर उच्चतर ग्रेड पे प्राप्त करने वाले अधिकारी को निम्नतर ग्रेड पे पाने वाले अधिकारी से प्राथमिकता देते हुए अवधारित की जाएगी; जहां ग्रेड पे समान है वहां सेवाकाल के आधार पर, और जहां ग्रेड पे और सेवाकाल दोनों समान है वहां अधिकारियों के वेतनमान के आधार पर, उच्चतर वेतनमान वाले पद पर कार्य करने वाले अधिकारी की निम्नतर वेतनमान पाने वाले अधिकारी से प्राथमिकता देते हुए अवधारित की जाएगी;

परन्तु यह भी कि जहां दो या अधिक अधिकारियों की ग्रेड पे, सेवाकाल और वेतनमान समान है वहां ज्येष्ठता का अवधारण उनके जन्म की तारीख के प्रति निर्देश से, उस अधिकारी को, जो आयु मे अधिक है, आयु में छोटे अधिकारी से प्राथमिकता देते हुए निर्धारित किया जाएगा– :

(ट) "अर्हक नियुक्ति" से अभिप्रेत है ऐसी नियुक्ति जिसके धारक से भारतीय सर्वेक्षण, केन्द्रीय और प्रादेशिक वेतन और लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण के केन्द्रीय विद्यालय (परियोजना विद्यालय) की सेवा के लिए निवास करने की अपेक्षा की जाती है;

(ठ) "निवास" से अभिप्रेत है ऐसा कोई निवास जो तत्समय संबंधित निदेशक के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन हो;

(ड.) "सेवा निवृत्ति" जिसके अन्तर्गत अधिवर्षिता; स्वेच्छया सेवा निवृत्ति और अस्वस्थता के आधार पर सेवा निवृत्ति भी है;

(ढ) "उप पट्टे पर देना" के अन्तर्गत आबंटिती द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसे दूसरे व्यक्ति द्वारा अनुज्ञप्ति फीस के संदाय सहित या उसके बिना, निवास में रहना है।

स्पष्टीकरण–आबंटिती द्वारा अल्प अवधि के लिए अपने निकट संबंधियों को निवास में रहने, उप पट्टे पर देना नहीं समझा जाएगा। पिता, माता, भाई, बहन, दादा, दादी, पौत्र और पौत्री निकट संबंधी माने जाएंगे।

(ण) "अस्थायी स्थानांतरण" से अभिप्रेत है ऐसा स्थानांतरण जिसमें छः मास से अनधिक अवधि की अनुपस्थिति हो;

(त) "स्थानांतरण" से अभिप्रेत है वर्तमान आस्थान से किसी अन्य स्थान को या पात्र कार्यालय से किसी अपात्र कार्यालय को स्थानांतरण और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार के अधीन सेवा का स्थानांतरण या प्रतिवर्तन और किसी अपात्र कार्यालय या संगठन में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति भी आती है;

(थ) अधिकारी के संबंध में "टाईप" से अभिप्रेत है निवास का ऐसा टाईप जिसका वह नि.317–कज–4 के उपबन्धों के अधीन पात्र है।

अ.नि. 317–कज–3 पति और पत्नी को आबंटन पात्रता ऐसे अधिकारियों की दशाओं में जो एक दूसरे से विवाहित है:–

(1) किसी अधिकारी को इन नियमों के अधीन निवास आबंटित नहीं किया जाएगा यदि अधिकारी की पत्नी या पति जैसी भी स्थिति हो, को पहले से ही उसी स्थान पर निवास आबंटित किया जा चुका है जब तक कि ऐसा निवास अभ्यर्पित न किया जाए;

परन्तु यह कि यह उपनियम वहां लागू नहीं होगा जहां पति और पत्नी किसी न्यायालय द्वारा किए गए न्यायिक पृथक्करण के आदेश के अनुसरण में अलग–अलग निवास कर रहे है।

(2) जहां इन नियमों के अधीन आबंटित पृथक् निवासों में अधिभोग करने वाले अधिकारी एक दूसरे से विवाह करते हैं, वे विवाह के एक मास के भीतर निवासों में से एक को अभ्यर्पित कर देंगे।

(3) यदि उस नियम (2) द्वारा यथाअपेक्षित निवास अभ्यर्पित नहीं किया जाता तो निम्नतर टाईप के निवास का आबंटन ऐसी अवधि की समाप्ति पर रद्द किया हुआ समझा जाएगा और यदि निवास उसी टाइप के हैं तो उनमें से ऐसे एक का आबंटन जैसा कि निदेशक विनिश्चित करें, ऐसी अवधि की समाप्ति पर रद्द किया हुआ समझा जाएगा ।

(4) जहां पत्नी और पति दोनों केन्द्रीय सरकार के अधीन नियोजित हैं वहां इन नियमों के अधीन उनमें से प्रत्येक के निवास के आबंटन के हक पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा।

(5) उपनियम (1) से (4) तक में किसी बात के होते हुए भी,–

(क) यदि यथास्थिति उस पत्नी या पति को जो इन नियमों के अधीन निवास का आबंटिती है, ऐसे पूल से, जिसे वह नियम लागू नहीं होते है, उसी स्थान पर निवासीय आवास पश्चातवर्ती रूप में आबंटित किया जाता है, तो वह यथास्थिति पति या पत्नी, निवासों में से किसी को आबंटन के एक मास के भीतर अभ्यर्पित कर देगा।

परन्तु यह कि यह उपनियम वहां लागू नहीं होगा जहां पति या पत्नी किसी न्यायालय द्वारा किए गए न्यायिक पृथक्करण के आदेश के अनुसरण में अलग–अलग निवास कर रहे हैं।

(ख) जहां दो अधिकारी उसी स्थान पर पृथक् निवासों के अधिभोग में हैं और एक को इन नियमों के अधीन और दूसरे को उस पूल से जिसे ये नियम लागू नहीं होते, निवास आबंटित किया गया है, एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं, तो उनमें से कोई उन निवासों में से किसी एक को ऐसे विवाह के एक मास के भीतर अभ्यर्पित कर देगा।

(ग) यदि निवास खण्ड (क) या (ख) के अधीन यथाअपेक्षित अभ्यर्पित नहीं किया जाता है तो भारतीय संपदा सर्वेक्षण के पूल में निवास का आबंटन ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् रद्द किया गया समझा जाएगा।

अ.नि. 317–कज–4 निवासों का वर्गीकरण– (1) आबंटन के प्रयोजन के लिए निवास निम्न रूप में वर्गीकृत किए गए हैं तथा इन नियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अधिकारी निम्न सारणी में दर्शित टाईप के निवासों के आबंटन के लिए पात्र होगा।

सारणी

निवास का टाईप	निवास के टाईप की हकदारी के लिए आबंटन वर्ष के प्रथम दिन को अधिकारी का प्रवर्ग या उसकी मासिक ग्रेड पे
(1)	(2)
टाईप–I	रूपए 1300, रू.1400, रू.1600 रू.1650, और रू.1800
टाईप–II	रूपए 1900, रू.2000, रू.2400 और रू.2800
टाईप–III	रूपए 4200, रू.4600, और रू.4800
टाईप–IV	रूपए 5400, रू.6600,

टाईप–IV (विशेष)	रूपए 6600
टाईप–V	रूपए 7600 रू.8700 और रू.8900
टाईप–VI	रूपए 10000

(2) टाईप V या टाईप VI का पात्र कोई अधिकारी उससे ठीक नीचे के निवास के टाईप के लिए भी पात्र होगा।

अ.नि. 317–कज–5 आबंटन के लिए आवेदनः–

(1) निवास के सभी टाईपों के आबंटन के लिए आवेदन उचित माध्यम द्वारा संबंधित निदेशक को ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी तारीख तक किए जाएंगे जो इस निमित्त संबंधित निदेशक विनिर्दिष्ट करे। निदेशक, नियम नि. 317–कज–4 में यथा वर्गीकृत प्रत्येक टाईप के निवास के लिए प्रतीक्षा सूची रखेगा। प्रतीक्षा सूची में आबंटन पात्रता और पूर्विकता की तारीखें स्पष्टतः दर्शित होगी। आबंटन नि. 317–कज–6 में यथा उपबंधित पूर्विकता की तारीखों के आधार पर प्रतीक्षा सूची के अनुसार किए जाएंगे।

(2) ऐसा अधिकारी जो भारतीय सर्वेक्षण और केन्द्रीय वेतन और लेखा कार्यालय या प्रादेशिक वेतन और लेखा कार्यालय और भारतीय सर्वेक्षण के केन्द्रीय विद्यालय (परियोजना विद्यालय) में प्रथम नियुक्ति या स्थानान्तरण पर सेवा आरंभ करता है वह ऐसी सेवा आरंभ के एक मास के भीतर संबंधित निदेशक को विहित प्ररूप में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

अ.नि. 317–कज–6 निवासों का आबंटन– इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, निवास खाली होने पर संबंधित निदेशक द्वारा अधिमान रूप में ऐसे आवेदक को, जो नि.317–कज–15 के उपबंधों के अधीन उस टाईप के आवास का परिवर्तन चाहता है और यदि उस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे आवेदक को जो उस टाईप में बिना निवास का है और जिसकी उस टाईप के निवास के लिए सब से पूर्व की पूर्विकता तारीख रखता है, निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए आबंटित किया जाएगा, अर्थात्:–

(i) संबंधित निदेशक ऐसे आवेदक को जिसके लिए वह पात्र है, उससे उच्चतर टाईप का निवास आबंटित नहीं करेगा;

(ii) संबंधित निदेशक किसी आवेदक को, जिसके लिए वह नि.317–कज–4 के अधीन पात्र है, उससे नीचे के टाईप के निवास को स्वीकार करने के लिए विवश नहीं करेगा;

(iii) संबंधित निदेशक किसी आवेदक द्वारा नीचे के निवास के आबंटन के लिए प्रार्थना करने पर ऐसा निवास आबंटित कर सकेगा जो उस टाईप से नीचे है जिसका कि

आवेदक उसके लिए अपनी पूर्विकता के आधार पर पात्र है, सिवाय उन आवेदकों के, जो टाईप II के हकदार हैं।

(2) संबंधित निदेशक, अधिकारी का वर्तमान आबंटन रद्द कर सकेगा और उसकी उसी टाईप के वैकल्पिक निवास या आपाती परिस्थितियों में ऐसे टाईप के निवास के नीचे के टाईप का आनुकल्पिक निवास, जिसमें कि अधिकारी का अधिभोग है, और यदि अधिकारी के अधिभोग का निवास खाली किए जाने के लिए अपेक्षित है, आबंटित कर सकेगा।

अ.नि. 317—कज—7 पूर्विकता आबंटन—

(1) उप निदेशक, अधीक्षक सर्वेक्षक द्वितीय ग्रेड (अकृत्यिक चयन श्रेणी) और उसके ऊपर की श्रेणियों के अधिकारियों के लिए समुचित निवास आरक्षित किए जा सकेंगे जिसके लिए नि. 317—कज—2 (ज) द्वारा अनुज्ञप्ति फीस आबंटती द्वारा संदाय की जाएगी । यदि इनमें से कोई उस पर अधिभोग नहीं कर रहा है तो वे सुसंगत टाईप की प्रतीक्षा सूची के प्राधिकृत व्यक्ति को इस शर्त पर आबंटित किए जा सकेंगे कि वह यदि उक्त अधिकारियों में किसी के द्वारा अधिभोग के लिए अपेक्षित होगा तो तीस दिन की पूर्व सूचना पर उसे खाली कर देगा ।

(2) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित पूलों को संबंधित निदेशक द्वारा रखा जाएगा, अर्थात्:—

(i) विवाहित महिला और एकल महिला अधिकारियों के लिए पृथक रूप से महिला अधिकारी पूल; और

(ii) पूर्विकता पूल जिसमें निम्नलिखित अधिकारी समाविष्ट होंगे, अर्थात्:—

सहायक महासर्वेक्षक, चिकित्सक अधिकारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के केन्द्रीय विद्यालय, परियोजना विद्यालय, के प्रधानाचार्य, सुरक्षा पर्यवेक्षक, सहायक सुरक्षा पर्यवेक्षक, अग्निशमन अधिकारी, लीडिंग हैंड फायरमैन, यान अधीक्षक, संपदा भार साधक, संपदा अधिकारी, केयर टेकर, ज्येष्ठ प्रबंधक, मुद्रण समूह, श्रम कल्याण अधिकारी, कर्मशाला प्रबंधक, मोटर ड्राईवर सह मिस्त्री और ड्राईवर फायर इंजन, अग्निशमन कर्मचारिवृन्द, रक्षक और सफाईवाले।

संबंधित निदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि उपर्युक्त प्रत्येक वर्ग से कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या के लिए निवास उपबंध किया गया है यदि संख्या में और उस टाईप के निवास संपूर्ण पूल के लिए पर्याप्त नहीं है ।

स्पष्टीकरण— खण्ड (i) में'—

(क) "विवाहित महिला अधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसी महिला अधिकारी जो विवाहित जीवन व्यतीत कर रही है और जिसका अपने पति से न्यायिक पृथक्करण नहीं हुआ है,

(ख) "एकल महिला अधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसी महिला अधिकारी जो विवाहित महिला अधिकारी नहीं है।

(ग) "महिला अधिकारी पूल" से निवास स्थानों के आबंटन के प्रयोजन के लिए "विधवा", बच्चों सहित या बिना बच्चों के, को एकल महिला अधिकारी के रूप में समझा जाएगा।

(3) इन पूलों में रखे जाने वाले निवासों की संख्या और टाईपों का अवधारण भारत के महासर्वेक्षक द्वारा समय–समय पर किया जाएगा।

(4) इस नियम के अधीन निवासों के आबंटन के लिए पात्र अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता अवधारण निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात्:–

(क) महिला अधिकारियों के पूल में, उस पूर्विकता तारीख के आधार पर जिसको ऐसा प्रत्येक अधिकारी उस पूल में निवास के टाइप के लिए पात्र हो जाता है;

(ख) पूर्विकता पूल में उस तारीख के आधार पर जिससे ऐसा प्रत्येक अधिकारी उस टाईप से संबंधित ग्रेड पे लेना प्रारंभ करता है, जिसके लिए उस आबंटन के लिए उसके बारे में विचार किया जाता है।

(5) अधिकारी उक्त पूल में निवास आबंटन के लिए हकदार उस टाईप से अगले निम्न टाईप में होंगे जिसके वे नि. 317–कज–4 उपबंधों के अधीन हकदार है। तथापि यह उपबंध के उन अधिकारियों को लागू नहीं होगा जो पहले से ही टाईप–II निवास के हकदार हैं।

(6) संबंधित निदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के कर्मचारिवृन्द को भारत सरकार के शहरी मामले और नियोजन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित तारीख 25 नवम्बर 1987 के का.ज्ञा. सं.12035/10/84–पूल–II, द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार निवास उपलब्ध कराए जाते हैं।

(7) संबंधित निदेशक ऐसे अन्य सरकारी विभागों के कार्मिकों को भी, जिनकी उपस्थिति संपदा के उचित अनुरक्षण और रख–रखाव के लिए आवश्यक या अनिवार्य समझी जाती है, तो टाईप I, II और III निवासों में दो प्रतिशत से अनधिक भारत के महासर्वेक्षक के पूर्व अनुमोदन से उपयुक्त निवासों को आबंटित कर सकेगा:

परन्तु यह आबंटन ऐसे रक्षोपायों के अधीन होगा जो भारतीय सर्वेक्षण के हितों में उस समय आवश्यक समझे जाए और संबंधित निदेशक, यदि वह ठीक समझे तो, ऐसे आबंटन को रद्द कर सकेगा।

(8) निवासों के लिए दावों की पूर्विकता के आदेशों का क्रम निम्नलिखित होगा:

(क) भारतीय सर्वेक्षण विभाग, केन्द्रीय वेतन और लेखा कार्यालय, प्रादेशिक वेतन और लेखा कार्यालय और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के केन्द्रीय विद्यालय परियोजना के कार्मिक;

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्मिक; और

(ग) अन्य सरकारी विभागों के कार्मिक।

अ.नि. 317—कज—8 अधिकारी का स्वयं रहना और रिक्त निवासों के लिए उपबंध:—

(1) जब पर्याप्त समुचित निवास उपलब्ध न हो तो निम्नतर टाईप का निवास जबकि ऐसा आबंटन लोक निर्माण के हित में फायदेमंद समझा जाए, इस विनिर्दिष्ट समझदारी पर आबंटित किया जा सकेगा कि उस व्यक्ति/उन व्यक्तियों को, जैसे और जब समुचित निवास उपलब्ध होता है, उसमें जाना पड़ेगा। अनुज्ञप्ति फीस प्रवृत्त नियमों के अनुसार वसूल की जाएगी।

(2) अधिकारी से अपेक्षा की जाएगी कि वह निवास में स्वयं रहे, वह छुट्टी पर या किसी अन्य कारण से बाहर अधिक से अधिक छः माह के लिए संबंधित निदेशक की पूर्व अनुज्ञा से रह सकता है, संबंधित निदेशक से यदि ऐसी अनुज्ञा नहीं ली जाती है तो आबंटन रद्द कर सकेगा और उसे बेदखल करने की व्यवस्था कर सकेगा:

परन्तु आबंटन सरकारी सेवक को प्रस्थापित कार्यवाही के विरूद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् ही रद्द किया जाएगा।

(3) यदि कोई निवास इस कारण अनाबंटित रह जाता है कि कोई अधिकारी अधिभाग के लिए उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित निदेशक उसे ऐसे अन्य सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को जो केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में कार्य कर रहा है और जिसे वह उपयुक्त समझता है उचित प्रणाली से उसके आवेदन की प्राप्ति पर आबंटित करेगा:

परन्तु यह तब जब कि आबंटिती लिखित रूप में यह परिवचन देता है जिस पर उससे विभाग ने पृष्ठांकन किया हो, कि वह विहित अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा और उसे ऐसी सूचना मिलने पर कि निवास भारतीय सर्वेक्षण के अधिकारी के प्रयोग के लिए अपेक्षित है, उस सूचना प्राप्ति की तारीख से दो माह के भीतर उसे खाली कर देगा।

(4) यदि किसी विशिष्ट टाईप के निवास के लिए आबंटन की प्रतीक्षा सूची में कोई आवेदन नहीं है, तब वह रिक्त निवास उस अधिकारी को आबंटित किया जाएगा जो अगले टाईप के लिए आबंटन की प्रतीक्षा सूची में है और जो निम्नतर टाइप के निवास का आबंटन स्वीकार करने का इच्छुक है। ऐसा आबंटन उच्चतर टाईप की प्रतीक्षा सूची में ज्येष्ठता कम में इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जाएगा कि वह अधिकारी उसे उस समय खाली करने का करार करता है जबकि ऐसा समुचित टाइप का निवास उसी नियमित बारी पर उसको आबंटित कर दिया जाता है।

अ.नि. 317—कज—9 आश्रित या संबंधी को निवासों का बिना पारी के आबंटन :—

(1) संबद्ध निदेशक ऐसे अधिकारी के पुत्र, अविवाहित पुत्री और विवाहित पुत्री को तदर्थ आधार पर निवास का आबंटन कर सकेगा जो सरकारी निवास के अधिभोग में है और अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त होता है या स्वेच्छया सेवा—निवृत्त होता है या सेवा के दौरान मर जाता है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्:—

(i) ऐसा आश्रित या संबंधी इन नियमों के अधीन निवास के आबंटन के लिए पात्र सरकारी कर्मचारी होगा।

स्पष्टीकरण:— इस खण्ड के प्रयोजन के लिए किसी मृतक अधिकारी का आश्रित या संबंधी निवास के आबंटन के लिए पात्र समझा जाएगा, यदि वह ऐसे अधिकारी की मृत्यु से एक वर्ष के भीतर किसी पात्र कार्यालय में नियोजित है।

(ii) यदि वह सेवा—निवृत्त होने वाले अधिकारी के साथ सेवा निवृत्ति की तारीख से ठीक पूर्व कम से कम तीन वर्ष तक निरन्तर रहता रहा हो, जिसके अन्तर्गत उस अधिकारी की स्वेच्छया सेवा निवृत्ति और अस्वस्थता के आधार पर सेवा—निवृत्ति भी है। उस अवधि के दौरान वह मकान किराया भत्ता न लेता रहा हो और आवास का आबंटन सुनिश्चित करने के लिए कोई भी मकान किराया भत्ता किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, यदि वह ले लिया गया है।

(iii) यदि सेवा निवृत्ति, जिसके अन्तर्गत उस अधिकारी की स्वेच्छया सेवा—निवृत्ति भी है की तारीख से पूर्व तीन वर्ष की अवधि के भीतर सरकारी सेवा में उसकी नियुक्ति हो गई है या उस अधिकारी की सेवा—निवृत्ति की तारीख से पूर्व तीन वर्ष की अवधि के भीतर सेवा—निवृत्त होने वाले अधिकारी की तैनाती के स्थान पर स्थानांतरण हो गया है तो वह तारीख जिसको वह इस प्रकार नियुक्त किया गया था या सेवा—निवृत्त होने वाले अधिकारी की तैनाती के आस्थान पर स्थानांतरण किया गया था, ऊपर पैरा (ii) में बताई गयी शर्त के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए लागू तारीख होगी।

(iv) सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी या उसके कुटुंब के किसी सदस्य का तैनाती के आस्थान पर अपना कोई मकान नहीं होगा।

(v) इस अपवाद के साथ कि उन पात्र आश्रित या रिश्तेदारों को जो टाईप I और टाईप II निवासों के लिए पात्र हैं, बिना पारी के आधार पर टाईप I और टाईप II के निवास आबंटित किए जाएंगे, पात्र आश्रित/रिश्तेदार को उसकी हकदारी का निवास आबंटित किया जाएगा।

(vi) संभावित आबंटिती सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी के विहित शपथ पत्र के साथ विहित प्ररूप में संबद्ध निदेशक को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। चाहें पूर्वोक्त सभी शर्तें पूरी कर दी हों, वह तब तक आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि अनुज्ञप्ति फीस, नुकसानी प्रभार और अन्य बकाए जो समय–समय पर लागू होते हों, यदि कोई है चुकता नहीं कर दिए जाते हैं।

(vii) विवाहिता पुत्री केवल उसी स्थिति में आबंटन की हकदार होगी जहां अधिकारी का कोई भी पुत्र सरकारी सेवक नहीं है ।

(2) संबंधित निदेशक चिकित्सीय आधारों पर, जहां अधिकारी या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य क्षय रोग/कैंसर/हदय रोग/शारीरिक विकलांगता से पीड़ित हो, जिसमें शारीरिक निःशक्तता के विनिर्दिष्ट लक्षण/प्रतिशतता जो अनुबंधित की जाए और प्रत्येक प्रकार के रोग निःशक्तता के लिए समय–समय पर जारी किए गए आदेशों में विहित प्रतिशतता उपलब्ध हो, और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भारतीय सर्वेक्षण/जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन या ऐसे अन्य विशेषज्ञ की राय में कि उसके लिए यथाचित निवास की व्यवस्था करना आवश्यक है, गृह आवंटन समिति की सिफारिश के आधार पर बिना बारी के आवंटन कर सकेगा जो निवास के प्रत्येक टाईप में कुल क्वार्टरों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

टिप्पणः (i) इस नियम के प्रयोजन के लिए हदय रोग और शारीरिक विकलांगता की बाबत रियायत केवल स्वयं की बीमारी तक सीमित होगी और क्षय रोग/कैंसर की बाबत रियायत अधिकारी की बीमारी और उसके अपने कुटुंब अर्थात् पत्नी/पति और बच्चों तक सीमित होगी।

(ii) उपरोक्त सूचीबद्ध बीमारियां ही सर्वांगीण नहीं है, समिति इस प्रयोजन के लिए किसी अन्य जीवनघातक बीमारी या गम्भीर निःशक्तता के कारण हुई स्थाई दुर्बलता पर विचार कर सकती है।

(iii) यदि आश्रित माता–पिता की निःशक्ता ही विवेकाधिकार आबंटन का एकमात्र आधार हो तो ऐसे मामले में समिति को तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के गुणावगुण के साथ सावधानी पूर्वक विचार–विमर्श करके अपनी संस्तुति देनी चाहिए।

संबद्ध संपदाओं के लिए स्थायी गृह आबंटन समिति का गठन संबद्ध निदेशक और भारत के महासर्वेक्षक द्वारा समय–समय पर नाम निदेशित दो अन्य अधिकारियों को मिलाकर होगा।

संबंधित चिकित्सा प्राधिकारियों की चिकित्सीय सिफारिशों पर उनके गुण–दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। ऐसे कोई भी आज्ञापक अनुदेश नहीं हो सकते कि उनकी राय और विचार स्वीकार किए ही जाएंगे:

(i) गृह आवंटन समिति की तीन मास में कम से कम एक बार बैठक होगी और बिना बारी के आबंटन के लिए आवेदनों पर विनिश्चय करेगी। ऐसे आवेदकों को जिनके आवेदन गृह आबंटन समिति द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किए जाते हैं, सम्यक् रूप से और व्यक्तिगत रूप से विनिश्चय की सूचना दी जाएगी। उन आवेदकों की, जिनको बिना बारी आबंटन के लिए मंजूरी दी जाती है, सूची उनके आवेदनों की प्राप्ति की तारीख के अनुसार व्यवस्थित की जाएगी और सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी।

(ii) अपीलें– गृह आबंटन समिति के विनिश्चय के विरूद्ध किसी अपील का विनिश्चय महासर्वेक्षक द्वारा किया जाएगा और ऐसे मामले में उसका विनिश्चय अंतिम माना जाएगा।

(iii) यदि कोई अपील महासर्वेक्षक द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो उसका नाम भी गृह आबंटन समिति द्वारा उस बैठक में जिसमें आवेदक का मामला नामंजूर किया गया था, अनुमोदित अंतिम नाम के नीचे सूची में नोट किया जाएगा।

(iv) जब पदीयों को आबंटन के लिए बिना पारी के आधार पर निवास उपलब्ध हो तो उनका आबंटन ऊपर (i) में निर्दिष्ट प्रतीक्षा सूची के कम से आबंटित किया जाएगा।

(v) बिना बारी के आधार पर किए गए किसी आबंटन के अस्वीकार किए जाने पर संबंधित अधिकारी का नाम बिना पारी के निवासी के आबंटन के लिए प्रतीक्षा सूची से हटा दिया जाएगा। तथापि ऐसे मामलों में जहां प्रभावी पदीय से प्राप्त अभ्यावेदन पर, गृह आवंटन समिति मंजूरी को पुनर्जीवित करने का विनिश्चय करती है वहां उस पदीय को बिना पारी के आधार पर निवास पुनः आबंटित किया जाएगा।

(vi) ऐसे मामलों में जहां बिना पारी आबंटन, गृह आबंटन समिति द्वारा मंजूर किया गया है किन्तु वास्तविक आबंटन मंजूरी की तारीख से छः मास के भीतर नहीं किया गया है, वहां आबंटन समिति द्वारा छः मास की समाप्ति पर उसका पुनर्विलोकन किया जाएगा और उन पदीयों के नामों की अनुमोदित प्रतीक्षा सूची से हटा दिया जाएगा जिनके मामलों में बिना बारी के आबंटन के लिए अपेक्षा करने वाली परिस्थितियां हो

सकती हैं परिवर्तित हो गई हों और परिवर्तित परिस्थितियों में बिना पारी आबंटन न्यायसंगत न हो।

(3) रिक्त होने वाला प्रत्येक तीसरा निवास निम्नलिखित के कारण बिना पारी के आधार पर आबंटन के लिए आरक्षित किया जाएगा (क) आबंटन ऐसे अधिकारी के निकट संबंधी को किया जाएगा जो उपनियम (1) में अंतर्विष्ट उपबधों के अनुसार सरकारी सेवा से अधिवार्षिता प्राप्त कर लेता है या स्वेच्छया आधार पर सेवा निवृत्ति लेता है या सरकारी सेवा के दौरान मर जाता है और (ख) चिकित्सीय आधारों पर जहां अधिकारी या उसके कुटुंब को कोई (जहां बिना पारी के आबंटन के लिए सरकारी अनुदेशों के अधीन हकदार होते हैं) उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार क्षय रोग/कैंसर/हदय रोग/शारीरिक निःशक्तता से पीड़ित है। यह आरक्षण इस शर्त के अधीन होगा कि इस प्रकार आरक्षित निवासों की संख्या बिना पारी के आबंटन के लिए प्रतीक्षा सूची में पदीयों की संख्या से अधिक नहीं होगी। यदि कोई बिना पारी आबंटन लंबित नहीं है तो वह आरक्षित निवास साधारण प्रवर्ग के अधीन आबंटन के लिए चला जाएगा।

(4) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के आवास के आरक्षण के संबंध में आबंटन, ऐसे कर्मचारियों या कर्मचारियों के किसी अन्य प्रवर्ग को जारी किए गए आरक्षण आदेशों की सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन जो सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, किए जाएंगे।

(5) आबंटित किए जाने वाले निवास के टाईप का अवधारण करने के लिए बिना पारी के आबंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने के समय अधिकारी द्वारा लिए जाने वाली ग्रेड पे को ध्यान में रखा जाएगा। सभी लंबित बिना पारी मंजूरियों के लिए जिनके लिए एक वर्ष के भीतर आबंटन नहीं किया गया है, ऐसे ग्रेड पे पुनरीक्षण का, यदि कोई हो, जो उस अवधि के दौरान किया गया हो, आबंटित किए जाने वाले निवास के टाईप का अवधारण करने के लिए लेखा दिया जाएगा।

(6) ऐसे अधिकारियों को, जिनको बिना बारी आबंटन की मंजूरी दी गई है, उनके हक से एक वर्ग नीचे का निवास दिया जाएगा। सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों जो लिपिकीय और सहबद्ध काडरों में विभाग में सेवा प्रारंभ करते हैं और जो टाईप II के क्वाटरों के लिए हकदार है, बिना बारी के आधार पर टाईप II, निवास दिया जाएगा टाईप II निवास के हकदार पदीयों को जो एक बार टाईप I निवास के लिए पात्र थे बिना बारी के आधार पर टाईप II निवास दिया जाएगा।

अ.नि. 317–कज–10 आबंटन या प्रस्थापना की अस्वीकृति या स्वीकृति के पश्चात् आबंटित निवास पर अधिभोग करने की असफलता–

(1) यदि अधिकारी आठ दिन के भीतर निवास आबंटन को स्वीकार नहीं करता है या स्वीकृति के पश्चात् आबंटन के पत्र की प्राप्ति के आठ दिन के भीतर उस निवास का कब्जा नहीं ले लेता है, तो वह दूसरे आबंटन के लिए आबंटन पत्र के जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) यदि कोई अधिकारी जो निम्न स्तर टाईप के निवास का अधिभोग कर रहा है उसे उस टाईप का निवास, जिसके लिए वह नियम 317—कज—4 या 317—कज—6 (iii) के अधीन पात्र है या जिसके लिए उसने इन नियमों के अधीन आवेदन किया है, आवंटित किया जाता है या प्रस्थापित किया जाता है उसे उक्त आबंटन या आबंटन की प्रस्थापना के इंकार पर अनुज्ञा दी जा सकेगी कि वह निम्नलिखित शर्तो पर पूर्वतः आबंटित निवास में बना रहे, अर्थात्—

(क) ऐसा अधिकारी उच्चतर टाईप के निवास के आबंटन के लिए आबंटन पत्र जारी होने की तारीख से छः मास की अवधि के लिए दूसरे आबंटन का पात्र नहीं होगा;

(ख) वर्तमान निवास को प्रतिधारित करते हुए उससे ही अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित की जाएगी जिसका उसे मूल नियम 45—क के अधीन इस प्रकार आबंटित या प्रस्थापित निवास की बाबत संदाय करना पड़ता या जो उसके पहले के अधिभोग, के निवास के संबंध में संदेय अनुज्ञप्ति फीस है इनमें से जो भी उच्चतर हो।

अ.नि. 317—कज—11 वह अवधि जिसके लिए आबंटित अस्तित्व में रहता है और आगे प्रतिधारण के लिए रियायती अवधिः—

(1) आबंटन उस तारीख से प्रभावी होगा जिससे वह अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है और तब तक प्रभावी रहेगा जब तक—

(क) अधिकारी पात्र—कार्यालय में कर्तव्य पर नहीं रह जाता है, उसके पश्चात् उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञेय रियायती अवधि समाप्त नहीं हो जाती;

(ख) संबंधित निदेशक द्वारा वह रद्द नहीं किया जाता है या इन नियमों के किसी उपबंध के अधीन रद्द किया हुआ नहीं समझा जाता है;

(ग) अधिकारी द्वारा वह अभ्यर्पित नहीं किया जाता है; या

(घ) अधिकारी निवास की अधिभोग में नहीं रखता है।

(2) उपनियम (3) के अधीन रहते हुए अधिकारी को आबंटित निवास निम्न सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट घटनाओं में से किसी के होने पर उसके स्तम्भ 2 मे की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रखा जा सकेगा परन्तु यह तब जबकि निवास अधिकारी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के सद्भाविक प्रयोग के लिए अपेक्षित हो।

सारणी

घटनाएं		निवास के प्रतिधारण के लिए अनुज्ञेय अवधि
1		2
i	पदत्याग, पदच्युति या सेवा से हटाया जाना, सेवा की समाप्ति या अनुज्ञा के बिना अप्राधिकृत अनुपस्थिति।	एक मास
ii	सेवा निवृत्ति या सेवान्त छुट्टी	सामान्य अनुज्ञप्ति फीस पर दो मास और सामान्य अनुज्ञप्ति फीस के दोगुने पर और दो मास। चिकित्सा/शिक्षा आधार पर आगे के दो महीनों के लिए चार गुनी अनुज्ञप्ति फीस पश्चात्वर्ती 2 महीने के लिए 6 गुनी सामान्य अनुज्ञप्ति फीस।
iii	आबंटिती की मृत्यु	एक वर्ष/दो वर्ष यदि मृतक या उसके या उसकी आश्रित का अंतिम स्टेशन पर अपना मकान न हो।
iv	वर्तमान स्थान से बाहर स्थान को स्थानान्तरण	दो मास
v	आस्थान में किसी अपात्र कार्यालय को स्थानान्तरण	दो मास
vi	भारत में विदेश सेवा के लिए प्रस्थान पर	दो मास
vii	भारत में अस्थायी स्थानान्तरण या भारत के बाहर किसी स्थान को स्थानांतरण	चार मास
viii	छूट्टी (पूर्व सेवा निवृत्ति छुट्टी, इंकार की गई छूट्टी सेवान्त छुट्टी, चिकित्सीय छुट्टी, प्रसूति छुट्टी या अध्ययन छुट्टी से भिन्न)	छुट्टी की अवधि के लिए किन्तु चार मास से अधिक नहीं
ix	प्रसूति छुट्टी	प्रसूति छुट्टी की अवधि के लिए तथा आगे बढ़ाई गई अवधि के लिए ।
x	मूल नियम 86 के अधीन दी गई पूर्व सेवा निवृत्ति छुट्टी या इंकार की गई छुट्टी या ऐसे सरकारी सेवक, जो मूल नियम 56 (ञ) के अधीन सेवा निवृत्त हुए हैं को दी गई उपार्जित छुट्टी।	पूर्व सेवानिवृत्ति की दशा में अधिकतम 180 दिन और अन्य दशाओं में चार मास के अधीन रहते हुए, जिसमें सेवानिवृत्ति की दशा में अनुज्ञेय अवधि सम्मिलित है पूर्ण औसत वेतन पर छुट्टी की पूरी अवधि के लिए ।

xi	भारत में या भारत के बाहर अध्ययन छुट्टी	(क) यदि अधिकारी उसकी हकदारी के नीचे के आवास के अधिभोग में हो तो अध्ययन छुट्टी की संपूर्ण अवधि के लिए ।
		(ख) यदि अधिकारी के अधिभोग में उसकी हकदारी की टाईप का आवास है तो अध्ययन छुट्टी की अवधि के लिए किन्तु छः मास से अधिक नहीं परन्तु जहां अध्ययन छुट्टी छः मास से अधिक की हो जाती है तो छः मास की समाप्ति पर या अध्ययन छुट्टी के प्रारंभ की तारीख से यदि वह ऐसा चाहता है तो उसकी हकदारी से एक टाईप नीचे का अनुकल्पिक आवास आबंटित किया जा सकेगा।
xii	भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए किन्तु छः मास से अधिक नहीं ।
xiii	चिकित्सीय आधार पर छुट्टी	छुट्टी की पूरी अवधि ।
xiv	प्रशिक्षण के लिए प्रस्थान पर	प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए । (केवल उन नियमित पदाधिकारियों के लिए जो अभ्याग्रहण पर प्रशिक्षण पर गये हों)

स्पष्टीकरण I– जहां भारत में स्थानांतरण या विदेश सेवा में किसी अधिकारी की छुट्टी मंजूर की जाती है और वह नया कार्यालय में सेवा आंरभ करने से पूर्व उसका उपभोग करता है उसे मद (iv) (v) (vi) और (vii) में उल्लिखित अवधि के लिए या छुट्टी की अवधि के लिए जो भी अधिक हो, निवास को रखने की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण II– जहां भारत में विदेश सेवा पर स्थानातंरण का आदेश किसी ऐसे अधिकारी को दिया जाता है जोकि पहले से छुट्टी पर है तो स्पष्टीकरण के अधीन अनुज्ञेय अवधि की संगणना ऐसे आदेश के जारी करने की तारीख से की जायेगी ।

(3) जहां निवास उपनियम (2) के अधीन प्रतिस्थापित किया जाता है तो आबंटन अनुज्ञेय रियायती अवधियों की समाप्ति के पूर्व तब तक रद्द हुआ समझा जाएगा जब तक उसकी समाप्ति पर तुरन्त अधिकारी पात्र कार्यालय में सेवा पुनः आरम्भ न करें ।

(4) जहां अधिकारी बिना वेतन व भत्तों के चिकित्सीय छुट्टी पर है वह उक्त सारणी में मद **xiii** के अधीन रियायत के आधार पर अपना निवास प्रतिधारित कर सकेगा ।

परन्तु यह जबकि वह ऐसे निवास की अनुज्ञप्ति फीस नकद रूप में प्रतिमाह भेजता रहे और जहां वह दो माह से अधिक के लिये ऐसी अनुज्ञप्ति फीस भेजने में असफल रहता है तो आबंटन रद्द हो जायेगा ।

(5) ऐसा अधिकारी जिसने उपनियम (2) के अधीन सारणी के मद (i) या मद (ii) के अधीन रियायत के आधार पर निवास को प्रतिधारित किया है किसी पात्र कार्यालय में पुनर्नियोजन पर उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस निवास को प्रतिधारित करने का हकदार होगा और वह इन नियमों के अधीन निवास के किसी और आबंटन के लिये भी पात्र होगा । परन्तु यह कि जब ऐसे पुनर्नियोजन पर अधिकारी की ग्रेड पे उसके द्वारा अधिभोग किये गये टाईप के निवास का उसे हकदार नहीं बनाती है, उसे निम्नतर टाईप का निवास आबंटित किया जाएगा।

(6) उपनियम (2) या उपनियम (3) या उपनियम (5) में किसी बात के होते हुए भी जब कोई अधिकारी पदच्युत किया जाता है या सेवा से हटाया जाता है या जब उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है और उस कार्यालय में जिसमें कि ऐसा अधिकारी ऐसी पदच्युति या हटाए जाने या सेवा समाप्त किए जाने के ठीक पूर्व नियोजित था, की बाबत विभाग के प्रधान का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है और समीचीन है, वह संबंधित निदेशक से ऐसे अधिकारी को किए गए निवास का आवंटन तुरन्त या उपनियम (2) के अधीन उक्त सारणी के मद (i) में निर्दिष्ट एक मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व की तारीख से जैसा कि वह निर्दिष्ट करें, रद्द करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा और संबंधित निदेशक तदनुसार कार्य करेगा।

अ.नि. 317—कज—12 अनुज्ञप्ति फीस से संबंधित उपबन्ध –

(1) जहां निवास का या आनुकल्पिक निवास का आबंटन स्वीकृत किया जा चुका है, अनुज्ञप्ति फीस का दायित्व अधिभोग की तारीख से या आबंटन पत्र की प्राप्ति की तारीख के आठवें दिन से जो भी पूर्वत्तर हो, प्रारंभ होगा।

ऐसा अधिकारी जो स्वीकृति के पश्चात् आबंटन पत्र प्राप्ति की तारीख से आठवें दिन के भीतर उस निवास का कब्जा नहीं लेता है उससे अनुज्ञप्ति फीस उस तारीख से बारह दिन की अवधि तक के लिए ली जाएगी:

परन्तु इसमें अंतर्विष्ट कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी जहां केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग यह प्रमाणित करें कि निवास उस समय तक अधिभोग के लिए तैयार नहीं था और उसके परिणामस्वरूप अधिकारी ने पूर्वोत्तर अवधि के भीतर निवास का कब्जा नहीं लिया।

(2) जहां अधिकारी को, जो निवास के अधिभोग में है, एक दूसरा निवास आवंटित किया जाता है और वह नए निवास का अधिभोग कर लेता है तो पूर्व निवास का आबंटन नए निवास के अधिभोग की तारीख से रद्द हुआ समझा जाएगा तथापि वह नए निवास में जाने के

लिए पन्द्रह दिन की अवधि के लिए सामान्य अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर पूर्ववर्ती निवास प्रतिधारित कर सकेगा:

परन्तु यदि पन्द्रह दिन के भीतर पूर्ववर्ती निवास खाली नहीं किया जाता है तो वह अधिकारी निवास के उपयोग और अधिभोग की ऐसी नुकसानियों, सेवाओं फर्नीचर और उद्यान प्रभारों के लिए, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किए जाए, बाद वाले निवास का कब्जा लेने के सोलहवें दिन से संदाय करने का दायी होगा।

(3) जहां कोई सरकारी आवास केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों को आबंटित किया जाता है वहां 1/–रू. प्रतिमास की अभिहित अनुज्ञप्ति फीस और सेवा प्रभार समय–समय पर सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ निर्माण और आवास मंत्रालय संपदा निदेशालय (पॉलिसी सेल) की तारीख 4 दिसम्बर, 1970 के ज्ञा. सं. 18013(1)/68–पॉल–I में दिए गए ब्यौरों के अनुसार वसूल किए जाएंगे।

(4) जहां कोई सरकारी निवास स्थान मान्यता प्राप्त क्लबों और संगमों को आबंटित किया जाता है वहां मूल नियम 45–क के अधीन पूरी मानक अनुज्ञप्ति फीस और सेवा प्रभार समय–समय पर संशोधित निर्माण और आवास मंत्रालय के तारीख 2 अप्रैल, 1960 के ज्ञा.सं. 12/110/58–एसीसी–I द्वारा विहित विस्तृत प्रकिया के अनुसार वसूल किए जाएंगे।

(5) जहां कोई सरकारी कार्यालय आवास केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के किसी मान्यता प्राप्त संगम/संघों को आबंटित किया जाता है वहां मूल नियम 45–क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस और सेवा प्रभार, समय–समय पर संशोधित संपदा निदेशालय को नई दिल्ली की तारीख 25.04.69 के का.ज्ञा.सं. 18011(6)/68–पॉल–I में अंतर्विष्ट आदेशों के अनुसार वसूल किए जाएंगे।

(6) जहां कोई कम्युनिटी हाल, मनोरंजन केन्द्र या क्लब बिल्डिंग आबंटित की जाती हैं, वहां अनुरक्षण और मरम्मत सेवा–प्रभार और ऐसे अन्य तत्वों की वास्तविक लागत को पूरा करने वाली अनुज्ञप्ति फीस समय–समय पर संशोधित निर्माण और आवास मंत्रालय की तारीख 2 अप्रैल, 1960 के ज्ञा.सं. 12110/58–ए.सी.सी.–I के पैरा 4 में अंतर्विष्ट आदेशों के अनुसार वसूल की जाएगी।

अ.नि. 317–कज–13 निवास के खाली होने तक अनुज्ञप्ति फीस के संदाय के लिए अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व और अस्थाई अधिकारियों द्वारा प्रतिभूति का दिया जाना।

(1) अधिकारी जिसे निवास आबंटित किया गया है उस अवधि के दौरान जिसके लिए निवास उसको आबंटित किया गया है और उसको आबंटित रहता है या जहां आबंटन इन नियमों के उपबंधो में से किसी के अधीन रद्द किया जा चुका है तो उस अवधि तक के लिए जब तक कि निवास उससे लगे हुए उपगृहों के लिए खाली न किया गया हो उसकी फीस और उसका पूरा खाली कब्जा सरकार को पुनः वापस न किया गया हो उसकी अनुज्ञप्ति फीस के लिए तथा

सरकार द्वारा दिए गये फर्नीचर, फिक्सचर या फिटिंग्स या सेवाओं में, उचित टूट–फूट के अतिरिक्त की गई नुकसानी के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा।

(2) जहां अधिकारी जिसे निवास आबंटित किया गया है, न स्थायी न अर्द्ध–स्थायी अधिकारी है वह ऐसे निवास, सेवाओं और उसके बदले दिए गए दूसरे किसी निवास की बाबत् उसकी शोध्य अनुज्ञप्ति फीस और अन्य प्रभारों के सम्यक् संदाय के लिए ऐसे प्रतिभूति सहित, जो केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा करने वाला स्थायी अधिकारी होगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित प्ररूप में प्रतिभूति बंधपत्र निष्पादित करेगा।

(3) यदि प्रतिभू सरकारी सेवा में नहीं रह जाता है या दिवालिया हो जाता है या किसी अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं हो पाता है या अपनी गारंटी वापस ले लेता है तो अधिकारी ऐसी घटना या तथ्य को अपनी जानकारी की तारीख से तीस दिन के भीतर दूसरे प्रतिभू द्वारा निष्पादित नवीन बंधपत्र देगा और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसको दिए गए निवास का आवंटन जब तक कि संबंधित निदेशक के द्वारा अन्यथा विनिश्चित न किया जाए, उस घटना की तारीख से रद्द किया गया समझा जाएगा ।

(4) अनुज्ञप्ति फीस भारतीय सर्वेक्षण के आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा संबंधित निदेशक द्वारा दिये गये मांग विवरण के प्राधिकार पर संबंधित अधिकारी के वेतन बिलों से वसूल की जाएगी । संबंधित निदेशक द्वारा मांग वितरण में विनिर्दिष्ट रकमें संबंधित सरकारी सेवक को पूर्व निर्दिष्ट किए बिना पूरी वसूल की जाएगी ।

अ.नि. 317–कज–14 आबंटन का अभ्यर्पण और सूचना की अवधि–

(1) अधिकारी किसी समय आबंटन का अभ्यर्पण ऐसी सूचना देते हुए कर सकेगा जो निवास के खाली करने की तारीख से पूर्व कम से कम दस दिन के भीतर संबंधित निदेशक को पहुंच जाएं । निवास का आबंटन उस दिन के पश्चात् ग्यारहवें दिन से जिस दिन पत्र संबंधित निदेशक को प्राप्त होता है या पत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से जो भी बाद की हो, रद्द हुआ समझा जाएगा। यदि वह ऐसी सम्यक् सूचना देने में असफल रहता है तो वह दस दिन के लिए या ऐसे दिनों के लिए जो उसके द्वारा दी गई सूचना से दस दिन से कम पड़ते हैं अनुज्ञप्ति फीस के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा:

परन्तु यह कि संबंधित निदेशक कम अवधि की सूचना स्वीकार कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि विहित सूचना आबंटिती के नियंत्रण के परे की परिस्थितियों के कारण नहीं दी जा सकती थी ।

(2) अधिकारी जो उपनियम (1) के अधीन निवास अभ्यार्पित करता है उस पर पुनः उसी आस्थान पर सरकारी आवास के आबंटन के लिए ऐसे अभ्यर्पण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

अ.नि. 317–कज–15 निवास का परिवर्तन–

(1) अधिकारी जिसे इन नियमों के अधीन निवास आबंटित किया जा चुका है, वह उसी टाईप के दूसरे निवास के परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकेगा । अधिकारी को आबंटित किए गए एक टाईप के निवास की बाबत एक से अधिक परिवर्तन-अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(2) वह अधिकारी जो पूर्व में उसको आबंटित हुए आवास को बदलना चाहता है, वह विहित प्ररूप में निदेशक संपदा को अपना आवेदन करेगा। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् आवेदक का नाम कम्प्यूटराइज्ड प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया जाएगा। आवेदक की परस्पर वरिष्ठता "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर अवधारित की जाएगी।

(3) परिवर्तन की प्रस्थापना संबंधित निदेशक के कार्यालय में प्राप्त उसके आवेदन की प्राप्ति की तारीख के क्रम में की जाएगी:

परन्तु यह कि अधिवर्षिता के ठीक पूर्ववर्ती तारीख के छः मास की अवधि के दौरान निवास का कोई परिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) यदि अधिकारी उसको प्रस्थापित निवास के परिवर्तन की ऐसी प्रस्थापना या आबंटन के जारी करने के पांच दिन के भीतर स्वीकार करने में असफल रहता है तो उस पर उस टाईप के निवास के परिवर्तन के लिए पुनः विचार नहीं किया जाएगा।

(5) ऐसे अधिकारी पर, जो निवास के परिवर्तन को स्वीकार करने के पश्चात् उसका कब्जा लेने में असफल रहता है, पहले से उसके कब्जे के निवास के लिए, जिसका आबंटन अस्तित्व में बना रहेगा, मूल नियम 45क के अधीन प्रसामान्य अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अ.नि. 317–क ज–12 के उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार ऐसे निवास के लिए अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित की जाएगी।

अ.नि. 317–कज–16 निवासों का परस्पर विनिमय–दो अधिकारी, जिन्हें इन नियमों के अधीन उसी आस्थान पर उसी टाईप के निवास आबंटित किए गए हैं, वहां अपने निवास के परस्पर विनिमय की अनुज्ञा के लिए आवेदन संबंधित निदेशक को कर सकेंगे । परस्पर विनिमय के लिए अनुज्ञा अनुदत्त की जा सकेगी यदि दोनों अधिकारियों के बारे में युक्तियुक्त रूप से कर्तव्य पर होने और ऐसे विनिमय के अनुमोदन की तारीख से कम से कम छः मास के लिए परस्पर विनिमय किए गए निवास में निवास करने की आशा की जाए।

अ.नि. 317–कज–17 स्थानान्तरण–यदि अधिकारी का स्थानांतरण किसी वर्ष के शैक्षणिक सत्र के मध्य में हो जाता है और इन नियमों के अधीन उसको आबंटित निवास उसके बच्चों की सद्भावना शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए अ.नि. 317–कज–11 के अधीन विहित रियायती अवधि से अधिक के लिए कुटुम्ब द्वारा अपेक्षित हो, तो वह प्रार्थना किए जाने पर अनुज्ञप्ति फीस की सपाट दर के दुगने के संदाय पर अपने बच्चों के चालू शिक्षा सत्र के अंत तक उस आस्थान पर निवास

प्रतिधारित करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। जहां इस नियम के अधीन निवास प्रतिधारित किया जाता है, चालू शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर आबंटन रद्द समझा जाएगा।

अ.नि. 317—कज—18 निवासों के अनुरक्षण के लिए दायित्व—

(1) अधिकारी जिसे निवास आबंटित किया गया है निवास और परिसरों को संबंधित निदेशक के समाधानप्रद रूप में स्वच्छ दशा में रखेगा। ऐसा अधिकारी संबंधित निदेशक, सरकार या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के विपरीत परिसरों में, स्थायी या अस्थाई कोई परिवर्तन या परिवर्तन नहीं करेगा या कोई वृक्ष झाड़ी या पौधा नहीं उगाएगा या संबंधित निदेशक की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना निवास से संलग्न बाग सहन या अहाते में विद्यमान किसी वृक्ष को नहीं काटेगा या उसकी काट—छांट नहीं करेगा। इस नियम के उल्लंघन में अप्राधिकृत रूप से परिनिर्मित कोई संरचना या उगाए गए वृक्ष बागान या वनस्पति संबंधित निदेशक द्वारा संबंधित अधिकारी की जोखिम और खर्चे पर कटवाए जा सकेंगे।

(2) अधिकारी से, जिसे निवास आबंटित किया गया है जब तक वह निवास के अधिभोग में प्रवेश करता है और जब उसे खाली करता है, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फिक्स्चर और फर्नीचर (निवास में जब यदि दिया गया हो) और फिटिंग्स की वस्तु सूची में हस्ताक्षर करे।

(3) अधिकारी जिसको निवास आबंटित किया गया वह किसी प्रकार के जानवर को उसके अन्दर या उसके समीप नहीं रखेगा।

अ.नि. 317—कज—19 निवासों का उप पट्टे पर देना और उसमें साथ रहने देना—

(1) कोई अधिकारी उसको आबंटित निवास या किसी उप गृह और गैराज में सिवाय केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के, जो इन नियमों के अधीन निवास के आबंटन के लिए पात्र है साथ नहीं रखेगा। सेवकों के निवास उपगृह, गैराज और अस्तबल सद्भावी प्रयोजनों के लिए हों जिसमें आबंटिती के सेवक का निवास है और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो संबंधित निदेशक द्वारा अनुज्ञात किए जाएं प्रयोग किए जा सकेंगे।

परन्तु निवास में साथ रहने देना केवल संबंधित निदेशक की पूर्व अनुज्ञा द्वारा ही अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) कोई अधिकारी अपने संपूर्ण निवास उप पट्टे पर नहीं देगाः

परन्तु छुट्टी पर प्रस्थान करने वाला अधिकारी ऐसे किसी अधिकारी को जो सरकारी निवास में साथ रहने के लिए प्रात्र हो सहायक के रूप में नियम नि. 317—कज—11 में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किन्तु छः माह से अधिक नहीं होगी आवास सुविधा प्रदान कर सकेगाः

(3) अधिकारी जो अपने निवास में साथ रहने देता है या उसको उप पट्टे पर देता है वह अपने स्वयं की जोखिम और उत्तरदायित्व पर ऐसा करेगा और निवास की बाबत संदत्त किसी अनुज्ञप्ति फीस निवास या उसकी प्रसीमाओं या क्षेत्र, सरकार द्वारा उसमें दी गई सेवाओं में उचित टूट–फूट के परे कारित किसी नुकसानी के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व बना रहेगा।

अ.नि. 317–कज–20 नियमों और शर्तों के भंग करने के परिणाम–

(1) यदि अधिकारी जिसे निवास आबंटित किया गया है अप्राधिकृत रूप से निवास को उप पट्टे पर देता है या हिस्सेदार से ऐसी दर पर किराया प्रभारित करता है जिसे संबंधित निदेशक अत्यधिक समझता है या निवास के किसी भाग में कोई अप्राधिकृत संरचना का परिनिर्माण करता है या कोई पशु या पालतू जानवर रखता है या निवास उसके किसी भाग को किसी ऐसे प्रयोजन से, जिसके लिए वह बना है, भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयोग करता है या बिजली या जल व्यवस्था में हस्तक्षेप करता है या नियमों या आवंटन के निबंधनों और शर्तो को भंग करता है या निवासों या परिसरों को ऐसे प्रयोजन के लिए जिसे संबंधित निदेशक अनुचित समझता है, प्रयोग करता है या प्रयोग करने के लिए अनुज्ञा देता है या ऐसी रीति में व्यवहार करता है जो उसकी राय में उसके पड़ोसियों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंधों के बनाए रखने में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है या जानबूझकर आबंटन प्राप्त करने की दृष्टि से किसी आवेदन या लिखित कथन में गलत सूचना देता है, तो संबंधित निदेशक किसी अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही पर जो उसके विरूद्ध की जाए प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निवास के आबंटन को रद्द कर सकेगा।

परन्तु अधिकारी का आबंटन तब तक रद्द नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसको व्यक्तिगत रूप से सुने जाने का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

स्पष्टीकरणः उपनियम (i) में अधिकारी पद के अंतर्गत, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके कुटुम्ब का सदस्य और अधिकारी के माध्यम से दावा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, आते हैः

(2) यदि कोई अधिकारी, उसको आबंटित किसी निवास या उसके किसी भाग को या उसके अनुलग्न किसी उपग्रह गैराज को इन नियमों के उल्लंघन में उप पट्टे पर देता है तो उस पर किसी ऐसी कार्रबाई पर जो उसके विरूद्ध की जाए, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आबंटन के रद्दकरण की तारीख से ऐसी दर से, जो केन्दीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत कि जाए, नुकसानी प्रभारित की जा सकेगी । इसके अतिरिक्त अधिकारी पर भविष्य में किसी निवास में भागीदारी करने पर, किसी ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए जो संबंधित निदेशक विनिश्चय करें रोक लगाई जा सकेगी।

(3) जहां आबंटिती द्वारा परिसरों को अप्राधिकृत रूप से उप पट्टे पर देने या आवंटन के किन्हीं नियमों, निबंधनों और शर्तों को भंग करने के कारण आबंटन को रद्द करने की

कार्यवाही की गई है, आबंटिती और किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसके साथ निवास कर रहा हो, साठ दिन की अवधि परिसरों को खाली करने के लिए अनुज्ञात की जाएगी । आबंटन परिसर को खाली करने की तारीख से या आबंटन के रद्द करने के लिए आदेशों की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति से, जो भी पूर्वत्तर हो, रद्द हो जाएगा।

(4) जहां निवास का आवंटन पड़ोसियों के साथ सामंजस्य पूर्ण संबंधों के बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के आचरण के कारण रद्द किया जाता है, अधिकारी को संबंधित निदेशक के विवेक पर किसी अन्य स्थान पर उसी वर्ग का दूसरा निवास आबंटित किया जा सकेगा।

(5) संबंधित निदेशक उपनियम (1) से (4) के अधीन सभी या उनमें से कोई कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा और उस अधिकारी को जो नियमों और उसके द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को भंग करता है, पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए निवासीय आवास के आबंटन के लिए अपात्र भी घोषित करेगा।

(6) जहां इन नियमों के अधीन कोई शास्ति संबंधित निदेशक द्वारा अधिरोपित की जाती है, व्यथित व्यक्ति, उसके द्वारा या उसके नियोजक द्वारा शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेशों की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर अतिरिक्त महासर्वेक्षक को अभ्यावेदन फाइल कर सकेगा।

(7) शास्ति अधिरोपित करने वाला मूल आदेश तब तक बना रहेगा जब कि अभ्यावेदन के परिणामस्वरूप उसे उपांतरित या खंडित नहीं कर दिया जाता है।

(8) वे अधिकारी, जो इन नियमों के उपबंधों का अतिक्रमण करते हैं, सरकारी कर्मचारी के अशोभनीय आचरण के आधार पर जिसमें केन्द्रीय सिविल सेवा आचरण नियम, 1964 के नियम 3(1) (iii) का अतिक्रमण अन्तर्वलित होगा, संबंधित सरकारी सेवक के अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त शास्ति के अधिरोपण के लिए अनुशासनिक कार्यवाही का दायी होगा।

अ.नि. 317—कज—21 आबंटन के रद्दकरण के पश्चात् निवास में फिर भी निवास करते रहना—जहां इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध के अधीन आबंटन रद्द किया जाता है या रद्द किया हुआ समझा जाता है और उसके पश्चात् निवास ऐसे अधिकारी जिसे यह आबंटित किया गया था, या ऐसे किसी व्यक्ति, जो उसके माध्यम से दावा करता है के अधिभोग में रहता है या बना रहता है, ऐसे अधिकारी निवास, सेवाओं, फर्नीचर के प्रयोग और अधिभोग के लिए तथा बाग प्रभारों के लिए बाजार किराया फीस के बराबर, जो समय—समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाएं, या उस अनुज्ञप्ति फीस की दुगुनी, जिसका वह संदाय कर रहा था, जो भी उच्चतर हो, नुकसानी का संदाय करने के लिए दायी होगा:

परन्तु यह कि ऐसा अधिकारी, जो अनुज्ञप्ति फीस का संदाय कर रहा था, विशेष दशाओं में, मृत्यु की दशा के सिवाय, संबंधित निदेशक द्वारा मूल नियम 45—क के अधीन अनुज्ञप्ति फीस के दुगुने जो भी उच्चतर हो, किन्तु अधिकारी द्वारा ली गयी अंतिम ग्रेड पे (मूल नियम 45—ग के अधीन यथा परिभाषित) के तीस प्रतिशत से अनधिक, के संदाय पर अ.नि. 317—कज—11 (2) के अधीन अनुज्ञात अवधि से परे छः मास से अनधिक अवधि के लिए निवास प्रतिधारित करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। ऐसा अधिकारी, जो मूल नियम 45—क के अधीन अनुज्ञप्ति फीस का

संदाय नहीं कर रहा था की दशा में, मूल नियम 45–क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस के दुगुने या मूल नियम 45–क के अधीन पूल की गयी मानक अनुज्ञप्ति फीस के दुगुने या उस अनुज्ञप्ति फीस के दुगुने, जिसका वह संदाय कर रहा था, जो भी उच्चतर हो, के संदाय पर उसी अवधि के लिए निवास प्रतिधारित करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि सेवा निवृत्ति या सेवान्त छुट्टी की दशा में आबंटिती प्रसामान्य अनुज्ञप्ति फीस के चौगुने के संदाय पर आगे की दो मास की अवधि के लिए और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समुचित प्रमाणीकरण के अधीन, विशेष कारणों जिसमें चिकित्सीय या शैक्षिक आधार अन्तर्वलित हो, के लिए सामान्य अनुज्ञप्ति फीस के छः गुने के संदाय पर पश्चातवर्ती दो मास के लिए सरकारी आवास को प्रतिधारित करने का पात्र होगा।

अ.नि. 317–कज–22 इन नियमों को जारी करने के पूर्व किए गए आबंटन का बना रहना–किसी निवास का विधिमान्य आबंटन जो इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व और तत्पश्चात् प्रवृत्त नियमों के अधीन अस्तित्व में रहता है इस बात के होते हुए भी कि वह अधिकारी, जिसे आबंटन किया गया है, उस टाईप के निवास के लिए हकदार नहीं है इन नियमों के अधीन सम्यक् रूप से किया गया आबंटन समझा जाएगा और इन नियमों के सभी पूर्ववर्ती उपबन्ध उस आबंटन और अधिकारी को तदनुसार लागू होंगे।

अ.नि. 317–कज–23 नियुक्ति गृह की बाबत विशेष उपबन्ध–सर्वेक्षण गृह का आबंटन, देहरादून में या अन्य आस्थानों पर कोई अन्य निवास जो सरकार के परामर्श से महासर्वेक्षक द्वारा आबंटन के प्रयोजन के लिए नियुक्ति गृह के रूप में घोषित किए जाएं, केवल उस पद के नियमित पदधारी को किया जाएगा जिसके लिए नियुक्ति गृह निश्चित किया जाता है।

उक्त पद के पदधारी की सेवा निवृत्ति की दशा में उसकी सेवा निवृत्ति के तीस दिन के भीतर उससे नियुक्ति गृह को खाली करने की अपेक्षा की जाएगी। तथापि, यदि वह ऐसा चाहता है तो उसे अ.कनि. 317–कज–11 में उत्कथित अवधि से अनधिक के लिए उपलब्ध आनुकल्पित उपयुक्त आवास की व्यवस्था कर दी जाएगी।

अ.नि. 317–कज–24 नियमों का निर्वचन–यदि इस खण्ड के नियमों के निर्वचन के बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

अ.नि. 317–कज–25 नियमों का शिथिलीकरण–सरकार किसी अधिकारी या निवास या किसी वर्ग के अधिकारियों या टाईप के निवास की दशा में ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे इन नियमों के सभी या किसी उपबन्ध को शिथिल कर सकेगी।

अ.नि. 317–कज–26 शक्तियों या कर्तव्यों का प्रत्यायोजन–सरकार इन नियमों द्वारा उसे प्रदत्त कोई या सभी शक्तियां ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना उचित समझे अपने नियंत्रण के अधीन किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

[फा. सं. एस.एम./29/08/2009]

ए. सी. मलिक, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2010

G.S.R. 576(E).—In pursuance of rule 45 of the Fundamental Rules and in supersession of the Allotment of Government Residence in Survey of India Estate Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely :-

In Part VIII of the Supplementary Rules, after Division – XXVI-AG, the following shall be inserted, namely :-

"DIVISION XXVI-AH"

S.R. 317-AH-1- Short title, application and commencement:-

(1) These rules may be called the Allotment of Government Residences in the Survey of India Estate Rules, 2010.

(2) They shall apply to the allotment of residences, which are primarily intended for the use of regular Government employees in the Survey of India, Kendriya Vidyalaya (Project School) of the Survey of India, Central and Regional Pay and Accounts Offices having accountal jurisdiction with the Survey of India.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

S.R. 317-AH-2- Definitions—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "allotment" means the grant of a licence to an officer to occupy a residence in accordance with the provisions of these rules;

(b) "allotment year" means the year beginning on the 1st January or such other period as may be notified by the Director concerned;

(c) "Director concerned" means the Director or Deputy Surveyor General or Deputy Director or Officer In-charge of a Wing of Survey of India responsible for administering the Survey of India Estate as may be nominated by the Surveyor General of India;

2549 GI/10-4

(d) "Eligible office" means the Survey of India Office, the Central or Regional Pay and Account Office having accountal jurisdiction with the Survey of India, Kendriya Vidyalaya (Project School) of Survey of India, the staff of which has been declared as eligible for allotment of residence under these rules;

(e) "Grade Pay" means pay as defined by 6th CPC and accepted by Government of India;

Explanation.- In the case of an officer who is under suspension, the Grade Pay drawn by him on the first day of the allotment year in which he is placed under suspension or if he is placed under suspension on the first day of the allotment year, the Grade Pay drawn by him immediately before that date, shall be taken as Grade Pay;

(f) "family" means the wife or husband, as the case may be and children, step children, legally adopted children, parents, brothers or sisters as ordinarily reside with and are dependent on the officer;

(g) "Government" means the Central Government;

(h) "licence fee" means the sum of money payable monthly in accordance with the provisions of the Fundamental Rules and as per orders issued by the Government of India, from time to time in respect of a residence allotted under these rules;

(i) "Officer" means the officers and employees serving in the Survey of India, Kendriya Vidyalaya (project school) of the Survey of India, Central Regional Pay and Accounts offices having accountal jurisdiction with the Survey of India;

(j) "priority date" of an officer in relation to a Type of residence to which he is eligible under the provisions of rule S.R.- AH-4 means the earliest date from which he has been continuously drawing Grade Pay relevant to a particular Type or a higher Type in a post under the Central Government or a State Government or on foreign service, except for periods of leave:

Provided that in respect of a Type I, Type II, Type III or Type IV residence the date of joining in the Government Service under the Central Government or State Government including the periods of foreign service shall be his priority date for that Type:

Provided further that in the case of ex-serviceman on re-employment in Survey of India, the past services rendered in the armed forces shall be counted for the purpose of determining the date of priority even if the officer has drawn the defence service terminal benefits and the break in service, if any, unless condoned by the competent authority shall be deducted from the total of the past services for determination of date of priority:

Provided also that in respect of Group 'D' staff, fifty percent of the continuous service rendered as a contingent Khalasi shall be reckoned for determination of date of priority.

Provided also that where the priority date of two or more officers is the same, seniority among them shall be determined by the amount of Grade Pay, the officer in receipt of

higher Grade Pay taking precedence over the officer in receipt of lower Grade Pay: where the Grade Pays are equal, by the length of service and where both the Grade Pay and length of service are equal, on the basis of scale of pay of the officers, the officer working in a post having higher scale of pay taking precedence over the officer in receipt of lower scale of pay; and

Provided also that where the Grade Pay, length of service and scale of pay of two or more officers are equal, then the seniority shall be determined with reference to the date of birth the officer who is older taking precedence over the younger officer.

(k) "Qualifying appointment" means an appointment, the incumbent of which is required to reside on duty with the Survey of India, the Central and Regional Pay and Accounts Office, Kendriya Vidyalaya (project school) of Survey of India;

(l) "residence" means any residence for the time being under the administrative control of the Director concerned;

(m) "retirement" includes superannuation, voluntary retirement and retirement on medical grounds;

(n) "Subletting" include sharing of residences by an allottee with another person with or without payment of licence fee by such other person;

Explanation—Any sharing of residence for short periods by an allottee with close relations shall not be deemed to be subletting. Father, Mother, Brother, Sister, Grand Father, Grand Mother, Grand Son and Grand Daughter shall be treated as close relatives;

(o) "Temporary transfer" means a transfer which involves an absence for a period of time not exceeding six months;

(p) "Transfer" means a transfer from existing station to any other place or from an eligible office to an ineligible office and includes—transfer or reversion to service under a State Government and also deputation to a post in an ineligible office or organization;

(q) "Type" in relation to an officer means the Type of residence to which he is eligible under the provision of S.R. 317-AH-4.

S.R. 317-AH-3- Allotment to husband and wife, eligibility in cases of officers who are married to each other:

(1) No officer shall be allotted a residence under these rules if the wife or the husband, as the case may be, of the officer has already been allotted a residence, in the same station unless such residence is surrendered:

Provided that this sub-rule shall not apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any court.

(2) Where two officers in occupation of separate residences allotted under these rules marry each other, they shall within one month of the marriage, surrender one of the residences;

(3) If a residence is not surrendered, as required by sub-rule (2), the allotment of the residence of the lower Type shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period, and if the residences are of the same Type, the allotment of such one of them, as the Director concerned may decide, shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period;

(4) Where both husband and wife are employed under the Central Government, the title of each of them to allotment of residence under these rules shall be considered independently;

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) to (4).-

(a) If a wife or husband, as the case may be who is an allottee of a residence under these rules, is subsequently allotted a residential accommodation at the same station from a pool to which these rules do not apply, she or he, as the case may be, shall surrender any one of the residences within one month of such allotment:

Provided that this sub-rule shall not apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any court.

(b) Where two officers, in occupation of separate residences at the same station, one allotted under these rules and another from a pool to which these rules do not apply, marry each other, any one of them shall surrender any one of the residences within one month of such marriage.

(c) If a residence is not surrendered as required under clause (a) or (b), the allotment of the residence in the Pool of Survey of India Estate shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period.

S.R. 317-AH-4- Classification of Residences—(1) For the purpose of allotment, the residences are classified as under and save as otherwise provided by these rules, an officer shall be eligible for allotment of a residence of the Type shown in the table below:

TABLE

Type of residence	Grade Pay-on the first day of the allotment year for entitlement to the Type of residence.
1	2
Type I	Rs.1,300, Rs.1,400, Rs.1,600 , Rs.1,650 and Rs.1,800
Type II	Rs.1,900, Rs.2,000, Rs.2,400, and Rs.2,800
Type III	Rs.4,200, Rs.4,600 and Rs.4,800
Type IV	Rs.5,400 to Rs.6,600
Type IV(Special)	Rs.6,600

Type V	Rs.7,600, 8,700 and 8,900
Type VI	Rs.10,000

(2) An officer eligible to Type V or Type VI, shall also be eligible to the next below Type of residence.

S.R.317-AH-5- Application for Allotment.—

(1) Application for allotment of all Types of residences shall be made to the Director concerned through proper channel in such form and manner and by such date, as may be specified by the Director concerned on this behalf. The Director shall maintain a waiting list for each Type of residence as classified in rule S.R. 317-AH-4. The waiting list shall show clearly the dates of eligibility and priority for allotment. Allotments shall be made according to the waiting list based on the dates of priority as provided for in S.R. 317-AH-6.

(2) An officer joining duty on first appointment or on transfer in the Survey of India and Central Pay and Account Office or Regional Pay and Accounts Office and Kendriya Vidyalaya (Project School) of the Survey of India may submit his application in the prescribed form to the Director concerned within a month of his joining duty.

S.R. 317-AH-6- Allotment of Residences.—(1) Save as otherwise provided in these rules, a residence, on falling vacant, shall be allotted by the Director concerned preferably, to an applicant desiring a change of accommodation in that Type under the provisions of S.R. 317-AH-15 and if not required for that purpose, to an applicant without residence in that Type having the earliest priority date for that Type of residence subject of the following conditions, namely: –

(i) The Director concerned shall not allot a residence of a Type higher than to what the applicant is eligible for;

(ii) The Director concerned shall not compel any applicant to accept a residence of a lower Type than to what he is eligible for under S.R. 317-AH-4; and

(iii) The Director concerned on request from an applicant for allotment of lower Type of residence, might allot to him a residence next below the Type for which the applicant is eligible on the basis of his priority date for the same except the applicants who are entitled to Type II residence.

(2) The Director concerned may cancel the existing allotment of an officer and allot to him an alternative residence of the same Type or in emergent circumstances an alternative residence of the Type next below the Type of residence in the occupation of the officer if the residence in occupation of the officer is required to be vacated.

S.R. 317-AH-7- Priority Allotment.—

(1) Appropriate residences may be reserved for the officers in the grades of Deputy Director, second Grade Superintending Surveyor (Non-Functional), and above for which Licence fee vide S.R. 317-AH-2 (h) shall be payable by the allottee. If any of these is not

occupying it, the same may be allotted to an authorized person in the waiting list of relevant Type, on the condition that he shall vacate it on thirty days notice if required for occupation by any of the said officers.

(2) Notwithstanding anything contained in these rules, the following pools shall be maintained by the Director concerned namely:-

(i) Lady Officers' Pools separately for married lady officers and for single lady officers; and

(ii) Priority Pool which shall comprise of the following officers namely: -

Assistant Surveyor General, Medical Officer, Principal of Kendriya Vidyalaya Project School of Survey of India Security Supervisor, Assistant Security Supervisor, Fire Officer, Leading Hand Fireman, Vehicle Superintendent, In-charge Estate, Estate Officer, Care taker, Senior Manager Printing Group, Labour Welfare Officer, Works Manager, Motor Driver cum Mechanic and Driver Fire Engine, Fire Staff, Guards and Safaiwalas.

The Director concerned shall ensure that adequate number of staff from each of the above category have been provided accommodation in case the number and Type of residences are not sufficient for the entire pool.

Explanation in clause (i);-

(a) "Married lady officer" means a lady officer whose marriage is subsisting and who is not judicially separated from her husband;

(b) "Single lady officer" means a lady officer who is not a married lady officer; and

(c) "Widow" with or without children is to be treated as a "Single Lady Officer" for the purpose of allotment of residential accommodation from "Lady Officers' Pools."

(3) The number and types of residences to be placed in these pools shall be determined by the Surveyor General of India from time to time.

(4) The *inter se* seniority of the officers eligible for the allotment of residences under this rule shall be determined in the following manner, namely: -

(a) In the Lady Officers' Pool, on the basis of the priority date on which each such officer became eligible for the type of residence in that pool;

(b) In the priority pool, on the basis of the date from which each such officer began to draw Grade Pay pertaining to the Type to which he/she is to be considered for allotment.

5) The officers shall be entitled to allotment of accommodation in the said pools in the Type next below the Type for which they are entitled under the provisions of the S.R. 317-

AH-4. However this provision shall not apply to those officers who are already entitled to Type II residence.

(6) The Director concerned shall ensure that staff of the Scheduled Cast and Scheduled Tribe category are provided residence as per orders issued by Government of India, Ministry of Urban Affairs and Employment vide their OM No. 12035/10/84-Pol-II dated 25th November, 1987 as amended from time to time.

(7) The Director concerned may also allot suitable residences not exceeding two percent in Type I, II and III residences to the personnel of other Government Departments whose presence is considered necessary or essential for proper maintenance and upkeep of the Estate with the prior approval of the Surveyor General of India.

Provided that this allocation shall be subject to such safeguards as may be considered necessary at the time in the interest of the Survey of India and the Director concerned if he deems fit may cancel such allotment.

(8) The order of priority of claims for residences shall be as follows: -

(a) Personnel of the Survey of India, Central Pay and Accounts office, Regional Pay and Accounts office and Kendriya Vidyalaya Project School of Survey of India;
(b) Personnel of the Central Public Works Department; and
(c) Personnel of other Government Departments.

S.R. 317-AH-8- Officer to stay himself and provisions for vacant residences.-

(1) When sufficient appropriate residences are not available, a lower type of residence may be allotted, when such allotment is considered advantageous in the interest of public work, on the specific understanding that the individual(s) shall have to move into appropriate residence as and when it becomes available. The licence fee shall be recovered according to rules in force.

(2) The officer shall be required to stay at the residence himself. He may reside out side on leave or due to any other reasons, for not more than six months only with the prior permission of the Director concerned who may cancel the allotment and arrange to evict him, if such permission is not taken:

Provided that the allotment shall not be cancelled except after giving to the Government servant a reasonable opportunity of show cause against the proposed action.

(3) If any residence remains unallotted owing to no officer being available for occupation, the Director concerned shall allot it to the other Government officer or employee working in any other department of the Central Government whom he considers suitable on receipt of his application through proper channel:

Provided that the allottee gives an undertaking in writing endorsed by his department that he shall pay the prescribed licence fee and vacate the residence within

two months from the date of receipt of a notice that it is required for the use of an office of the Survey of India.

(4) If there is no applicant on waiting list for allotment for any particular Type of residence, then that vacant residence shall be allotted to the officer who is on the waiting list for allotment for the next higher Type and is desirous of accepting allotment of residence of lower Type. Such allotment shall be made in the order of seniority in the waiting list of the higher Type subject to the condition that the officer agrees to vacate it when a residence of appropriate Type is allotted to him on his regular turn.

S.R. 317-AH-9- Out of turn allotment of residences to dependent or relation.—

(1). The Director concerned may allot a residence on ad-hoc basis to son, unmarried daughter and married daughter of an officer who is in occupation of a Government residence and retires on superannuation or takes voluntary retirement or retires on medical grounds or dies in service subject to the following conditions, namely: -

(i) The dependent or relation shall be a Government employee eligible for allotment of residence under these rules.

Explanation: For the purpose of this clause a dependent or relation of a deceased officer shall be deemed to be eligible for allotment of a residence if he is employed in an eligible office within one year from the death of such officer.

(ii) He shall have been residing continuously with the retiring officer for at least three years immediately preceding the date of retirement including voluntary retirement and retirement on medical grounds of the officer. During the same period he shall not have been drawing House Rent Allowance and in no circumstances refund of House Rent Allowance, if drawn, to secure allotment of accommodation shall be accepted.

(iii) If he has been appointed to Government service within a period of three years preceding the date of retirement including voluntary retirement of the officer or has been transferred to the place of posting of the retiring officer within a period of three years preceding the date of retirement of the officer, the date on which he was so appointed or transferred to the station of posting of the retiring officer, shall be the date applicable for the purpose of enforcing of the condition stipulated in para (ii) above.

(iv) The retiring officer or any member of his family shall not own a house in the station of posting.

(v) The eligible dependent or relation shall be allotted residence of his entitlement with the exception that those who are eligible for Type I and Type II residence shall be allotted Type I and Type II residence on out of turn basis.

(vi) The prospective allottee shall submit an application to the Director concerned in the prescribed form alongwith a prescribed affidavit of the

retiring officer. He shall not be eligible for allotment, even if all other conditions as above are satisfied, until the arrears of license fee, damage charges and other dues as applicable from time to time if any have been cleared.

(vii) The married daughter shall be eligible for allotment only in case where no son of the officer is a Government employee.

(2) The Director concerned may allot out of turn allotment not exceeding five per cent of the total quarters in each Type of residence on the basis of recommendation of House Allotment Committee on medical grounds where the officer or member of his family is suffering from Tuberculosis/Cancer/Heart ailment/Physical handicap having the specified symptoms/percentage of physical disability as may be stipulated and to the extent of percentage prescribed in the Government orders issued from time to time in each Type of ailment/disability and in the opinion of Chief Medical Officer, Survey of India/District Medical Officer/Civil Surgeon or such other specialist as may recommend that it is necessary to provide him a suitable residence.

NOTE:(i) For the purpose of this rule, concession in respect of heart ailment and physical handicap shall be restricted to self ailment only and in respect of Tuberculosis/Caner concession shall be restricted to illness of officer and his own family i.e. wife/husband and children only.

(ii) The above listed names of diseases are not exhaustive. The committee may consider any other life threatening diseases or other serious disabilities causing permanent impairment for this purpose.

(iii) In cases where disability of dependent parents is the sole ground for asking for discretionary allotment, the committee should consider the facts and circumstances alongwith merits of each case carefully before making their recommendations.

The composition of the standing House Allotment Committee for the respective Estates shall comprise of the Director concerned and two other officers nominated by the Surveyor General of India from time to time.

The recommendations of the medical authorities concerned shall be considered on their merits. There can be no mandatory instructions that their opinions and views shall be accepted:

Provided further that;

(i) The House Allotment Committee shall meet at least once in three months and decide pending applications for out of turn allotment. The applicants whose applications are accepted or rejected by the House Allotment Committee shall be duly informed of the decision individually. A list of applicants who have been sanctioned out of turn allotments shall be arranged in accordance with the dates of receipt of their applications and placed on the notice board.

(ii) Appeals—Any appeal against the decision of the House Allotment Committee shall be decided by the Surveyor General and his decision in such cases shall be treated as final.

(iii) If any appeal has been accepted by the Surveyor General then his name shall also be noted in the list below the last name approved by the House Allotment Committee at their meeting in which the case of the applicant was rejected.

(iv) When residences become available for allotment to officials on out of turn basis the same shall be allotted in the order on the waiting list referred to in (i) above.

(v) On refusal of an allotment made on out of turn basis, the name of the officials concerned shall be removed from the waiting list for out of turn allotment of residences. However, in case where on a representation from the affected official, the House Allotment Committee decides to revive the sanction, the official shall again be allotted residences on out of turn basis.

(vi) The cases in which out of turn allotment have been sanctioned by the House Allotment Committee but actual allotments have not been made within six months of the date of sanction, shall be reviewed by the House Allotment Committee on the expiry of six months and names of these officials shall be removed from the approved waiting list in whose cases the circumstances asking for out of turn allotments might have changed and in the changed circumstances out of turn allotment is not justified.

3) Every third residence falling vacant shall be reserved for allotment on out of turn basis on account of (a) Allotment to be made to the close relative of an officer who superannuated from or retires on voluntary basis or dies while in Government service in accordance with the provisions contained in sub-rule (1) and (b) on Medical grounds where the officer or a member of his family (where entitled under Government orders for out of turn allotment) is suffering from Tuberculosis/Cancer/heart ailment/Physical disability as per the provisions of sub-rule (2). This reservation is subject to the condition that the number of residences so reserved shall not exceed the number of officials on the waiting list for out of turn allotment. In case no out of turn allotment is pending then that reserved residence shall go for allotment under the general category.

(4) In regard to reservation of accommodation for the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe employees, allotment shall be made to such employees or any other category of employees to the extent of reservation orders as may be issued and subject to such conditions as may be specified by the Government from time to time.

(5) To determine the Type of residence to be allotted, the Grade Pay of the officer drawn by him at the time of submitting application for out of turn allotment shall be taken into consideration. All pending out of turn sanctions for which allotments have not been made within a year of the Grade Pay revision, if any, which might have taken place during that period shall be accounted for to determine the Type of residence to be allotted.

6) The officers who have been sanctioned out of turn allotments shall be provided residence of the class next below of their entitlement. The direct recruits who join the department in the clerical and allied cadres and who are entitled to Type II residence shall

however, be given Type II residence on out of turn basis. The officials entitled to Type II residences who were once eligible for Type I residence shall also be given Type II residence on out of turn basis.

S.R. 317-AH-10- Non acceptance of allotment or offer or failure to occupy the allotted residence after acceptance.—

(1) If any officer fails to accept the allotment of a residence within eight days or fails to take possession of that residence after acceptance within eight days from the date of receipt of the letter of allotment, he shall not be eligible for another allotment for a period of one year from the date of issue of allotment letter.

(2) If an officer occupying a lower Type of residence is allotted or offered a residence of the Type for which he is eligible under rules 317-AH-4 or 317-AH-6(iii) which he has applied under these rules he may on refusal of the said allotment or offer of allotment, be permitted to continue in the previously allotted residence on the following conditions namely: -

(a) That such an officer shall not be eligible for another allotment for a period of six months form the date of issue of the allotment letter for the higher Type of residence.

(b) While retaining the existing residence he shall be charged the same licence fee which he shall have had to pay under F.R. 45-A in respect of the residence so allotted or offered on the licence fee payable in respect of the residence already in his occupation whichever is higher.

S.R. 317-AH-11- Period for which allotment subsists and the concessional period for further retention.—

(1) An allotment shall be effective from the date on which it is accepted by the officer and shall continue in force until—

(a) the expiry of the concessional period permissible under sub-rule (2) after the officer ceases to be on duty in an eligible office;

(b) it is cancelled by the Director concerned or is deemed to have been cancelled under any provisions in these rules;

(c) it is surrendered by the officer; or

(d) the officer ceases to occupy the residence.

(2) A residence allotted to an officer may subject to sub-rule (3) be retained on the happening of any of the events specified in the column 1 of the table below for the period specified in the corresponding entry in column 2 thereof, provided that the residence is required for the bona-fide use of the officer or members of his family.

TABLE

Events		Permissible period for retention of the residence
1		2
i	Resignation, dismissal or removal from service, termination of service or unauthorized absence without permission.	One month

ii	Retirement or terminal leave		Two months on normal license fee and another two months on double the normal license fee. On medical/educational grounds, further retention for two months on four times the license fee. Subsequent two months on six times the normal license fee.
iii	Death of the allottee.		One year. Two years if the deceased or his or her dependant does not own a house at the last station.
iv	Transfer to a place out-side existing place.		Two months.
v	Transfer to an ineligible office in the station.		Two months.
vi	On proceeding on foreign service in India.		Two months.
vii	Temporary transfer in India or transfer to a place outside India.		Four months.
viii	Leave (other than leave preparatory to retirement refused leave, terminal leave, medical leave, maternity leave or study leave)		For the period of leave but not exceeding four months.
ix	Maternity leave		For the period of maternity leave plus leave granted in continuation
x	Leave preparatory to retirement or refused leave granted under F.R. 86 or earned leave granted to Government servant who retired under F.R. 56(j).		For the full period of leave on full average pay subject to a maximum 180 days in the case of leave preparatory to retirement and four months in other cases inclusive of the period permissible in the case of retirement
xi	Study Leave in or outside India		(a) In case the officer is in occupation of accommodation below his entitlement, for the entire period of study leave. (b) In case the officer is in occupation of his entitled Type accommodation, for the period of study leave but not exceeding six months. Provided that where the study leave extends beyond six months, he may be allotted alternative accommodation, one Type below his entitlement, on the expiry of six month or from the date of commencement of the study leave, if he so desires
xii	Deputation outside India.		For the period of deputation but not exceeding six months.
xiii	Leave on medical grounds		For full period of leave.
xiv	On proceeding on training		For full period of training.(Only those regular incumbents who attend training

			on attachment)

Explanation I : Where an officer on transfer or foreign service in India is sanctioned leave and avails it before joining duty at the new office, he may be permitted to retain the residence for the period mentioned against items (iv), (v), (vi) and (vii) or for the period of leave, whichever is more.

Explanation II : Where an order of transfer or foreign service in India is issued to an officer while he is already on leave, the period permissible under Explanation I shall count from the date of issue of such order.

(3) Where a residence is retained under sub-rule (2) the allotment shall be deemed to be cancelled on the expiry of the admissible concessional periods unless immediately on the expiry thereof the officer resumes duty in an eligible office.

(4) Where an officer is on medical leave without pay and allowance, he may retain his residence by virtue of the concession under item (xiii) of the said Table.

Provided that he/she remits the licence fee for such residence in cash every month and where he fails to remit such licence fee for more than two months the allotment shall stand cancelled.

(5) An officer who has retained the residence by virtue of the concession under item (i) or (ii) of the said Table under sub-rule (2) shall on re-employment in an eligible office, within the period specified in the said Table, be entitled to retain that residence and he shall also be eligible for any further allotment of residence under these rules.

Provided that if the Grade Pay of the officer on such re-employment does not entitle him to the Type of residence occupied by him, he shall be allotted a lower Type of residence.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) or sub-rule (3) or sub-rule (5) when an officer is dismissed or removed from service or when his services have been terminated and the Head of the Department in respect of the office in which such officer was employed immediately before such dismissal, removal or termination is satisfied that it is necessary or expedient in the public interest so to do, he may require the Director concerned to cancel the allotment of the residence made to such officer either forthwith or with effect from such date prior to the expiry of the period of one month referred to in item (i) of the Table as he may specify and the Director concerned shall act accordingly.

S.R. 317-AH-12- Provision relating to licence fee.—

(1) Where an allotment of residence or alternative residence has been accepted the liability for licence fee shall commence from the date of occupation or the eighth day from the date of receipt of the allotment letter, whichever is earlier.

An officer who after acceptance, fails to take possession of that residence within eight days from the date of receipt of the allotment letter, the licence fee shall be charged from such date upto a period of twelve days:

Provided nothing contained herein shall apply where the Central Public Works Department certifies that the residence was not yet ready for occupation and as a result thereof the officer does not occupy the residence within the period aforesaid.

(2) Where an officer, who is in occupation of a residence, is allotted another residence and he occupies the new residence, the allotment of the former residence shall be deemed to be cancelled from the date of occupation of the new residence. He may however, retain the former residence for a period of fifteen days for shifting to the new residence on payment of normal rate of licence fee:

Provided that if the former residence is not vacated within fifteen days, the officer will be liable to pay damages for use and occupation of the residence services, furniture and garden charges as may be determined by the Government from time to time, with effect from Sixteenth day from the date he takes possession of the later residence.

(3) Where a Government accommodation is allotted to Central Government Employees Consumers Co-operative Societies, a nominal licence fee of Rupee one per month plus charges for service shall be recovered as detailed in the Ministry of Works and Housing, Directorate of Estates (Policy Cell) Memo No. 18013(1)/68-Pol.I dated the 4th December, 1970 with such amendments as may be made by the Government from time to time.

(4) Where a Government residential accommodation is allotted to recognize clubs and Associations full standard licence fee under F.R. 45-A plus service charges shall be realized in accordance with the detailed procedure prescribed vide Ministry of Works and Housing Memo No. 12/110/58-Acc. I dated the 2nd April, 1960 as may be amended from time to time.

(5) Where a Government office accommodation is allotted to a recognized Association/Union of Central Government Employees, Standard Licence Fee under F.R. 45-A plus service charges shall be realized as per the orders contained in Directorate of Estate, New Delhi O.M. No. 18011(6)/68-Pol. I dated the 25th April, 1969 as may be amended from time to time.

(6) Where a Community Hall, Recreation Centre or Club buildings are allotted, the licence fee, covering actual cost of maintenance and repairs, service charges and such other elements shall be realized as per orders contained in para 4 of Ministry of Works and Housing Memo No. 12110/ 58-Acc. I dated 2nd April, 1960 as may be amended from time to time.

S.R. 317-AH-13- Provisions for personal liability of the officer for payment of licence fee till the residence is vacated and furnishing of surety by temporary officers.—

(1) The officer to whom a residence has been allotted shall be personally liable for payment of the licence fee thereof and for any damage beyond fair wear and tear caused thereto or to the furniture, fixtures or fittings or services provided therein by Government during the period for which the residence has been and remains allotted to him, or where the allotment has been cancelled under any of the provisions in these rules, until the

residence along with the out houses appurtenant thereto have been vacated and full vacant possession thereof has been restored to Government.

(2) Where the officer to whom a residence has been allotted is neither a permanent nor a quasi-permanent officer, he/she shall execute a security bond in the Form prescribed in this behalf by the Central Government with a surety who shall be a permanent officer serving under the Central Government for payment of licence fee and other charges due from him in respect of such residence and services and any other residence provided in lieu.

(3) If the surety ceases to be in Government service or becomes insolvent or ceases to be available for any other reason or withdraws his guarantee, the officer shall furnish a fresh bond executed by another surety within thirty days from the date of his acquiring knowledge of such event or fact, and if he fails to do so, the allotment of the residence to him shall unless otherwise decided by the Director concerned be deemed to have been cancelled with effect from the date of that event.

(4) Licence fee shall be recovered monthly by the Drawing and Disbursing Officer in the Survey of India, from the pay bills of the officers concerned, on the authority of the demand statement furnished by the Director concerned. The amount specified by the Director concerned in the demand statement shall be recovered in full without prior reference to the Government servant concerned.

S.R. 317-AH-14- Surrender of an allotment and period of notice.—

(1) An officer may at any time surrender an allotment by giving intimation so as to reach the Director concerned at least ten days before the date of vacation of the residence. The allotment of the residence shall be deemed to be cancelled with effect from the eleventh day after the day on which the letter is received by the Director concerned or the date specified in the letter, whichever is later. If he fails to give due notice he shall be responsible for payment of licence fee for ten days or the number of days by which the notice given by him falls short of ten days.

Provided that the Director concerned may accept a notice for a shorter period if, he is satisfied that the prescribed notice could not be given due to circumstances beyond the control of the allottee.

(2) An officer who surrenders the residence under sub rule (1) shall not be considered again for allotment of Government accommodation at the same station for a period of one year from the date of such surrender.

S.R. 317-AH-15- Change of residence.—

(1) An officer to whom a residence has been allotted under these rules may apply for a change to another residence of the same Type. Not more than one change shall be allowed in respect of one Type of residence allotted to the officer.

(2) An officer, who intends to change the accommodation already allotted to him shall make an application in the prescribed form to the Director of Estates. After

acceptance by the Competent Authority, the name of the applicant shall be included in the computerized waiting list. The *inter se* seniority of the applicant so included shall be determined 'on first-come first-served basis'.

(3) Change shall be offered in order of seniority determined in accordance with sub-rule (2) and having regard to the officer's preference as far as possible.

Provided that no change of residence shall be allowed during a period of six months immediately preceding the date of superannuation.

(4) If an officer fails to accept a change of residence offered to him within five days of the issue of offer or allotment he shall not be considered again for a change of residence of that Type.

(5) An officer who, after accepting a change of residence fails to take possession of the same, shall be charged licence fee for such residence in accordance with the provisions of sub-rule (1) of S.R. 317-AH-12 in addition to the normal licence fee under F.R. 45A for the residence already in his possession, the allotment of which shall continue to subsist.

S.R. 317-AH-16- Mutual exchange of Residence.—Where two officers to whom accommodation of the same Type have been allotted at the same station under these rules may apply to the Director concerned for permission to mutually exchange their residences. Permission for mutual exchange may be granted if both the officers are reasonably expected to be on duty and to reside in their mutual exchanged residences for at least six months from the date of approval of such exchange.

S.R. 317-AH-17- Transfer.—If an officer is transferred in any year during the middle of academic session and the residence allotted to him under these rules is required by the family for the bona-fide educational needs of his children beyond the concessional period prescribed under SR 317 AH-11, he may be allowed on request to retain the residence on payment of twice the flat rate of licence fee till the end of the current academic session of his children in that station. Where the residence is retained under this rule, the allotment shall be deemed to be cancelled on the expiry of the current academic session.

S.R. 317-AH-18- Responsibilities for maintenance of residence.—

(1) The officer to whom a residence has been allotted shall maintain the residence and premises in a clean condition to the satisfaction of the Director concerned. Such officer shall not make any additions or alternations whether permanent or temporary in the premises or grow any tree, or plants contrary to the instructions issued by the Director concerned, the Government or Central Public Works Department nor cut or lop off any existing tree in a garden, courtyard or compound attached to the residence, without prior permission in writing of the Director concerned. Any structures un-authorisedly erected or trees plantation or vegetation, grown in contravention of this rule may be caused to be removed by the Director concerned at the risk and cost of the officer concerned.

(2) The officer to whom a residence has been allotted shall be required when he enters into occupation of the residence and when he vacates it to sign an inventory of the fixtures and furniture (if provided in the residence) and fittings.

(3) The officer to whom a residence has been allotted shall not keep any cattle in or in the vicinity of the residence.

S.R. 317-AH-19-Subletting and sharing of Residences.—

(1) No officer shall share the residence allotted to him or any of the out-houses and garages apartment thereto except with the employees of the Central Government eligible for allotment of residence under these rules. The servant's residences, out-houses, garages and stables may be used only for the bona-fide purposes including residence of the servants of the allottee or for such other purposes as may be permitted by the Director concerned:

Provided the sharing of residence is allowed only with the prior permission of the Director concerned.

(2) No officer shall sublet the whole of his residence:

Provided that an officer proceeding on leave may accommodate, in the residence any other officer eligible to share Government residence as a caretaker for the period specified in rule S.R. 317-AH-11, but not exceeding six months.

(3) Any officer who shares or sublets his residence shall do so at his own risk and responsibility and shall remain personally responsible for any licence fee payable in respect of the residence and for any damage caused to the residence or its precincts or grounds or services provided therein by the Government beyond fair wear and tear.

S.R. 317-AH-20-Consequences of breach of rules and conditions.—

(1) If an officer to whom a residence has been allotted unauthorisedly sublets the residence or charges rent from the sharer at a rate which the Director concerned considers excessive or erects any unauthorized structure in any part of the residence or keeps any cattle, pets or uses the residence or any portion thereof, for any purpose other than that for which it is meant or tempers with the electric or water connection or commits any other breach of the rules or of the terms and conditions of the allotment or uses the residence or premises or permits or suffers the residence or premises to be used for any purpose which the Director concerned considers to be improper or conducts himself in a manner which in his opinion is prejudicial to the maintenance of harmonious relations with his neighbours or has knowingly furnished incorrect information in any application or written statement with a view to securing the allotment, the Director concerned may without prejudice to any other disciplinary action that may be taken against him, cancel the allotment of the residence:

Provided that the allotment of the residence shall not be cancelled except after giving to the officer a reasonable opportunity of being heard in person.

Explanation: In sub-rule (1) the expression officer includes, unless the context otherwise requires a member of his family and any other person claiming through the officer.

(2) If an officer sublets a residence allotted to him or any portion thereof or any of the out houses and garages appurtenant thereto, in contravention of these rules, he may without prejudice to any other action that may be taken against him, be charged such damages at rates from the date of cancellation of allotment, as may be fixed by the Central Government from time to time. In addition the officer may be debarred from sharing the residence for a specified period in future as may be decided by the Director concerned.

(3) Where action to cancel the allotment is taken on account of unauthorized subletting of the premises by the allottee, or for breach of any rules terms and conditions of allotment, a period of sixty days shall be allowed to the allottee, and any other person residing with him therein, to vacate the premises. The allotment shall be cancelled with effect from the date of vacation of the premises or expiry of the period of sixty days from the date of the orders for the cancellation of the allotment, whichever is earlier.

(4) Where the allotment of a residence is cancelled for conduct prejudicial to the maintenance of harmonious relations with neighbours the officer at the discretion of the Director concerned, may be allotted another residence in the same class at any other place.

(5) The Director concerned shall be competent to take all or any of the actions under sub-rules (1) to (4) and also declare the officer, who commits a breach of the rules and instructions issued to him to be ineligible for allotment of residential accommodation for a period not exceeding five years.

(6) Where any penalty under this rule is imposed by the Director concerned the aggrieved person, may within sixty days of the receipt of the orders by him or his employer imposing the penalty, file a representation to the Additional Surveyor General.

(7) The original order imposing the penalty shall stand unless it is modified or rescinded as a result of the representation.

(8) Those officers who violate any provisions of these Rules shall be liable for disciplinary action for imposition of a suitable penalty on grounds of unbecoming conduct of the Government employees involving violation of Rule 3(1) (iii) of the Central Civil Service Conduct Rules, 1964 by the Disciplinary authority of the government servant concerned.

S.R. 317-AH-21-Overstayal in residence after cancellation of allotment.—Where, after an allotment has been cancelled or is deemed to be cancelled under any provision contained in these rules, the residence remains or has remained in occupation of the officer to whom it was allotted or of any person claming through him, such government servant shall be liable to pay damages for use and occupation of the residence, services, furniture and garden charges, equal to the market rent as may be determined by Government from time to time or twice the licence fee he was paying which ever is higher:

Provided that an officer, who was paying licence fee may in special cases, except in case of death, be allowed by the Director concerned, to retain a residence for a period not exceeding six months beyond the period permitted under S.R. 317 AH-11 (2) on payment of twice the standard licence fee under F.R. 45-A or twice the pooled standard licence fee

under F.R. 45-A, whichever is higher but not exceeding 30 per cent of the emoluments (as defined under F.R. 45-C) last drawn by the officer. In case of an officer who was not paying licence fee under F.R. 45-A, he may be allowed to retain a residence for the same period on payment of twice the standard licence fee under F.R. 45-A or twice the pooled standard licence fee under F.R. 45-A, or twice the licence fee that he was paying, whichever is higher:

Provided further that in the event of retirement or terminal leave, the allottee shall be eligible to retain the Government accommodation for a further period of two months on payment of four times of the normal licence fee and subsequent two months of six times of the normal licence fee for special reasons involving medical or educational grounds subject to appropriate certification by the authorities concerned.

S.R. 317- AH-22- Continuance of allotments made prior to the issue of these rules.—Any valid allotment of a residence which is subsisting immediately before the commencement of these rules and under the rules then in force shall be deemed to be an allotment duly made under these rules notwithstanding that the officer to whom it has been made is not entitled to a residence of that Type and all the preceding provisions of these rules shall apply in relation to that allotment and the officer accordingly.

S.R. 317-AH-23- Special provisions regarding appointment house.—Allotment of Survey house at Dehra Dun or any other residence at other stations, may be declared as an appointment house for the purpose of allotment by the Surveyor General in consultation with the Government. Allotment of appointment house shall be made only to the regular incumbent of the post for which the appointment house is earmarked.

In the event of the retirement of the incumbent from the said post, he shall be required to vacate the appointment house within thirty days of his retirement. He shall however, be provided, if so desired by him, an alternate suitable accommodation available for a period not exceeding that stipulated in SR-317-AH-11.

S.R. 317-AH-24- Interpretation of Rules.—if any question arises as to the interpretation of these rules then, it shall be decided by the Government.

S.R. 317-AH-25- Relaxation of Rules.—The Government may for reasons to be recorded in writing relax all or any of the provisions of these rules in the case of any officer or residence or class of officers or types of residences.

S.R. 317-AH-26- Delegation of powers or functions.—The Government may delegate any or all the power conferred upon it by these rules to any officer under its control, subject to such conditions as it may deem fit to impose.

[F. No. SM/29/08/2009]

A.C. MALLICK, Desk Officer

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.